स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–23, अंक–5, वैशाख–ज्येष्ठ 2072, मई 2015

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा – पृष्ठ–6

पिछले ढाई दशकों से चल रही आर्थिक नीतियों के कारण देश में असमानताएं बढ़ी हैं, रोजगार के अवसर घटे हैं, देश का आर्थिक तंत्र छिन्न–भिन्न हुआ है और इन सबके परिणाम स्वरूप किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचितों के कष्टों में भारी वृद्धि हुई है। पिछली सरकार की पूंजीपतियों के साथ मिलीभगत के फलस्वरूप कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ देने में भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी गई।

अ नु क्र म

स्वदेशी पत्रिका (कवर पेज) /1
स्वदेशी पत्रिका पढ़ें और पढ़ायें /2
अनुक्रम /3
पाठकनामा/उन्होंने कहा /4

आवरण कथा :
स्वदेशी जन–संसद द्वारा पारित प्रस्ताव /6

प्रतिक्रिया : क्यों सही नहीं है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून, 2013 (संशोधन), अध्यादेश
– डॉ. अश्विनी महाजन /8

सामयिकी : अनसुना न करें, डोलती धरती के बोल
– अरुण तिवारी /11

कृषि : जाना–पहचाना संकट
– देविन्दर शर्मा /14

कृषक : मुफ्त में नहीं हो सकेगी किसान की बीमा
– डॉ. भरतझुनझुनवाला /16

विश्लेषण : कालाहांडी का बदलता चेहरा
– भारत डोगरा /18

विमर्श: वर्षा जल सहेजना समय की जरूरत
– अभिषेक कुमार /20

पर्यावरण : बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक कचरे का संकट
– मुकुल श्रीवास्तव /22

धरोहर : वास्तु दोषों को दूर करती है – गाय
– उमेश प्रसाद सिंह /24

मुद्दा : भूकम्प से बचाने वाले बनें शहर
– प्रमोद भार्गव /26

लेख : बुद्ध और उनका संदेश
– निरंकार सिंह /28

विचार–विमर्श : स्वच्छता अभियान में परिवार की भूमिका
– डॉ. अनामिका पांडे /30

अर्थव्यवस्था : आर्थिक मौके का उठाना होगा फायदा
– जयंतीलाल भंडारी /32

सवाल : भ्रष्टाचार ऐसे दूर नहीं होगा
– डॉ. वेदप्रताप वैदिक /34

समाचार परिक्रमा /35

रपट /38

स्वदेशी जागरण मंच की गतिविधियाँ /39–40

पाठकनामा

देश में बेकार पड़ी भूमि का उपयोग होना चाहिए

स्वदेशी पत्रिका में संपादकीय लेख मुद्रा बैंक 'देर आए दरुस्त आए' पढ़ा। इसमें आपने लिखा कि फ्रंचाईजी का प्रावधान है। कृपा इसे स्पष्ट करते तो बेहतर होता। ग्रामीण और शहरी युवा 'मुद्रा बैंक' से किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं जबकि मुद्रा बैंक की शाखा खुलने में तो वर्षों लगेंगे – यह स्पष्ट नहीं है। क्या सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंक मुद्रा बैंक की नीति का पालन करते हुए जरूरतमंद की आवाज सुनेंगे। अगर वे ऐसा ना करे तो उपभोक्ता किसे शिकायत करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई अच्छे कदम उठाए हैं। जो स्वागत योग्य है।

जमीन अधिग्रहण पर 'पहले भूमि का ऑडिट हो' देविन्दर शर्मा जी का लेख जानकारी एवं तथ्यों से परिपूर्ण रहा। श्री मोदी सरकार से बातचीत करके इस पर उनको बताना चाहिए कि सरकार ने जो पहले भूमि अधिग्रहण की है वह बेकार पड़ी है उसका उपयोग करें।

आरटीआई एक्ट के तहत इसकी जानकारी लेनी चाहिए कि किस–किस राज्य में कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है तथा कितनी भूमि बेकार पड़ी है। मेरा मानना है कि बेकार पड़ी भूमि को उपयोग में लाना बेहद जरूरी है।

– राजकुमार जैन, अन्दर अखाड़ा बाजार कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

आपदा और नशे के कारण पहाड़ हो रहा है वीरान

आपदा और बेरोजगारी से निराश होकर उत्तरांचल के लोग अब मैदान की ओर पलायन कर रहे हैं। जबकि पूर्व में कमाने के लिए लोग बाहर जाते थे लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब वे परिवार के साथ गाँव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। वर्ष 2013 की आपदा में 4000 गाँव तबाह हुए थे और तब से अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग परिवार सहित मैदान क्षेत्र की ओर कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं में शराब की लत भी लग चुकी है। परिणामस्वरूप युवा वर्ग नशे का आदी होता जा रहा है जिसके कारण युवा वर्ग सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। शराब की लत के कारण कई युवाओं ने आत्महत्या भी कर ली है। प्रदेश सरकार भी यह मान चुकी है कि उत्तरांचल में परिवार का पलायन और युवा वर्ग नशे का आदी हो रहा है लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम तक नहीं उठाए है जो सचमुच में उत्तरांचल के लिए एक बुरी खबर है।

– मनोज कुलियाल, सेक्टर–3, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क :150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क:15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

नक्सलवादी हिंसा छोड़कर अमन के रास्ते पर चलें ताकि मौत का तांडव खत्म हो और विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अगर केन्द्र और राज्य सरकार विकास कार्यों पर मिलकर काम करें तो इससे राज्यों के साथ भारत का भी विकास होगा।

– ममता बनर्जी

कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों के कारण भाजपा सत्ता में आई है परंतु संसद में हम कांग्रेस का साथ देने को हम तैयार हैं।

– सीताराम येचुरी

केजरीवाल जी मैं आपको 20 लाख रुपए की राशि दिलवाऊंगी, अगर आप उन सब आप के विधायक एवं कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करवाएं जिन्होंने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर मेरे पिता जी को उकसाया।

– मेधा, सुपुत्री
स्व. गजेन्द्र सिंह

कृषि अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है, इसकी चर्चा अक्सर की जाती है, लेकिन इसे समझा बहुत कम जाता है।

– देविन्दर शर्मा

गांवों में औसतन जितनी वर्षा होती है, यदि उसका महज 14–15 प्रतिशत हिस्सा सहेज लिया जाए तो वहां सिंचाई से लेकर पेयजल तक की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं।

– अभिषेक कुमार

संपादकीय

सरकार को सावधान रहने की जरुरत

यह एक बार नहीं कई बार सिद्ध हो चुका है कि भारत में काम कर रही विदेशी संस्थागत निवेशक कंपनियां अपनी पूंजी के बल पर जब चाहे सरकार को दबाव में लाकर अपने हित में फैसले करा लेती हैं। शायद एक बार फिर सरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों के दबाव में आती दिखाई दे रही है। पिछले तीन सप्ताह में शेयर बाजार में आई 3000 अंकों की गिरावट से घबराकर वित मंत्रालय ने वर्ष 2012 से चले आ रहे कर संबंधी उन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिनके संबंध विदेशी संस्थागत निवेशकों से है। मालूम हो कि मिनिमम एलटरनेटिव टैक्स (मैट) के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों पर 40 हजार करोड़ रुपये का कर बकाया है, जिसे देने से ये विदेशी कंपनियां लगातार इनकार कर रही हैं, और किसी भी कार्रवाई की स्थिति में यहां से अपनी पूंजी निकाल लेने की लगातार धमकी दे रही हैं। यहां तक कि एक अंतर्राष्टीय क्रेडिट एजेंसी 'फिच' ने यह बयान दिया है कि यदि मैट के तहत कर वसूली में भारत अड़ा रहा तो विदेशी संस्थागत निवेशक कंपनियां अपना पैसा कहीं और लगाएंगी। संसद में वित्तमंत्री ने यह ऐलान किया कि मैट के तहत देय कर के इस मुद्दे को स्थगित किया जा रहा है। सरकार ने आनन–फानन न्यायमूर्ति ए.पी. शाह के नेतृत्व में एक आयोग का गठन कर दिया जो इस कर के मामले पर अपनी राय देगा और तब तक के लिए इस करवूसली अभियान को पूरी तरह से रोक दिया गया। यही नहीं सरकार ने अपने आयकर विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया कि इस मामले में किसी भी विदेशी कंपनी को ना तो कोई नोटिस दिया जाएगा और न पुराने नोटिस पर कोई कार्रवाई ही की जाएगी। पिछले दिनों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ विदेशी कपंनियों को लगभग 600 करोड़ के कर वूसली का नोटिस भेजा था। अब सरकार ने इन नोटिसों पर भी कार्रवाई रोक दी है। इसके पहले बजट में भी वित्तमंत्री ने निवेश को आकर्षित करने के नाम पर विदेशी कंपनियों को इस कर में भारी राहत की घोषणा की थी। लेकिन 40 हजार करोड़ रुपये के उस कर को वसूली की प्रकिया जारी थी जिसका आकलन वर्ष 2012 में किया गया था। पर अफसोस इस कार्रवाई को भी अब रोक दिया गया। यह एक तरह से हथियार डालने जैसा है। लगभग 300 अरब डॉलर का उनका विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हमारे यहां है। लेकिन यह भी सही है कि उन पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है और फिर विदेशी संस्थागत निवेशकों का योगदान हमारी अर्थव्वयस्था को सुचारू रूप से चलाने में है भी नहीं। सरकार के इस कदम से भारतीय उद्यमों की इस भावना को ठेस पहुंचती है कि कानून सभी के लिए समान है। घरेलू उद्योगों के मन में यह भाव विकसित हो सकता है कि सरकार विदेशियों का अधिक समर्थन करती है। ये विदेशी निवेशक किसी भी संकट या आर्थिक झंझावत में ये हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खड़े नहीं होते। ये विशुद्ध रूप से मुनाफा वसूली में लगे होते हैं। विश्व में जहां कहीं भी लाभ का अवसर इन्हें मिलता है वे तुरंत पक्षियों की तरह उड़ जाते हैं। कई बार इनके कारण अर्थव्यवस्था हिचकोले भी खाने लगती है। हाल के दिनों का उदाहरण है कि कई भारतीयों कंपनियों ने पूंजी बाजार के बजाय विदेशी वाणिज्यिक ऋण पर ज्यादा भरोसा किया। वर्ष 2014 में भारतीय कंपिनयों ने लगभग 90 हजार करोड़ के विदेशी ऋण उठाए। इतना कुछ होने के बाद भी ना तो सरकार आश्वस्त है और ना बाजार के विश्लेषक कि आने वाल दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशक कंपनियों का निवेश भारत में बढ़ेगा। बल्कि आशंका यह जताई जा रही है कि ये विदेशी कंपनियां भारत से अपनी पूंजी निकाल कर चीन और अमरीका में ले जाएंगी। चीन में इन दिनों पब्लिक इश्यू की बूम आई हुई है। बाजार मे उतरने वाली चीनी कंपनियां लिस्टिंग के कुछ ही दिनों में मालामाल हो सकती है। हालांकि कुछ विश्लेषक इसे चीनी शेयर बाजार में तेजी का फूग्गा मान रहे हैं, पर विदेशी संस्थागत निवेशक कंपनियां चीन के बाजार की तरफ आकर्षित तो हो ही रही है और यदि वे चीन में निवेश करती हैं तो जाहिर है भारत से पूंजी का पलायन होगा ही। दूसरा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अमरीकी फेडरल बैक फिर से ब्याज दर बढ़ाने जा रहा है जिससे अमरीकी बांडों पर अच्छा रिर्टन मिलने की संभावना बढ़ गई है। फिर यह भी क्हा जा रहा है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था स्थिरता प्राप्त कर रहा है और भारत में अभी उथल–पुथल का दौर चलता रहेगा, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था में इस समय ठहराव की स्थिति है और कृषि क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि भारत का रुपया कमजोर बना रहेगा और अधिकमत समय 64 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से ही बाजार में बना रहेगा। यानी भारत को अपनी अर्थव्यवस्था ठीक रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में यदि सरकार यह संदेश देती है कि वह किसी बाहरी दबाव में आकर घुटने टेक सकती है तो यह आने वाले दिनों के लिए और खराब समय का आगाज होगा क्योंकि कई ऐसे कानून और प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें बदलवाने के लिए अंतराष्ट्रीय शक्तियां उचित अवसर का इंतजार कर रही हैं। हमें इस पर सावधान रहना ही चाहिए।

स्वदेशी जन संसद

स्वदेशी जन संसद का आयोजन दिनांक 5 मई 2015 को जंतर मंतर पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 4.00 बजे तक चला। इसमें राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा, अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय सहसंयोजक डॉ. अश्विनी महाजन, श्री सरोज मित्र, स्वदेशी चिंतक श्री के.एन. गोविन्दाचार्य, प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ डॉ. देवेन्द्र शर्मा, एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक श्री पी.वी. राजगोपाल, केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री श्री संजीव बालियान, भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कृष्णवीर चौधरी, पालम खाप, दिल्ली के प्रधान चौधरी रामकरण सोलंकी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री संजय पासवान, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री नागेन्द्र कुमार, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जितेन्द्र गुप्त, लोकसभा के 5 वर्तमान सांसद सहित अनेक नेतागण उपस्थित थे। देश के सभी प्रांतों से प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

स्वदेशी जन संसद के संयोजक श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने प्रस्ताव का वाचन किया। उपस्थित प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया तथा इसे भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए श्री संजीव बालियान को सौंपा गया। मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण ओझा ने केन्द्र सरकार को इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 26 जून तक का समय देते हुए कहा कि 27–28 जून को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ऐसी ही जन संसद सभी प्रांत/जिला/तहसील/प्रखंड/ग्राम स्तर तक आयोजित करने पर विचार किया जायेगा। मंच का संचालन अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्री अन्नदा शंकर पाणीग्रही, उत्तर क्षेत्र संयोजक श्री कृष्ण कुमार शर्मा, राजस्थान प्रांत के संयोजक श्री भगीरथ चौधरी ने किया।

स्वदेशी जन–संसद द्वारा पारित प्रस्ताव

स्वदेशी जन संसद में उपस्थित विभिन्न जन संगठनों, संस्थाओं और महानुभावों की यह स्पष्ट मान्यता है कि पिछले ढाई दशकों से चल रही आर्थिक नीतियों के कारण देश में असमानताएं बढ़ी हैं, रोजगार के अवसर घटे हैं, देश का आर्थिक तंत्र छिन्न–भिन्न हुआ है और इन सबके परिणाम स्वरूप किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचितों के कष्टों में भारी वृद्धि हुई है। पिछली सरकार की पूंजीपतियों के साथ मिलीभगत के फलस्वरूप कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ देने में भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी गई। देश की जनता ने पूंजीपतियों को लाभांवित करने वाले कृत्यों और नीतियों पर विराम लगाने और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने हेतु नई सरकार को चुना है। नई सरकार की जनधन योजना, मुद्रा बैंक की स्थापना समेत वर्तमान सरकार के कुछ प्रयासों का यह जन संसद स्वागत करती है, लेकिन साथ ही साथ इस जन संसद की यह स्पष्ट मान्यता है कि सरकार देश में किसानों, मजदूरों, लघु उद्यमियों, गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्माण करे।

स्वदेशी जन संसद का यह सुविचारित मत है कि संसद में सर्वसम्मति से पारित भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून, 2015 को संशोधन करने के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून (संशोधन) अध्यादेश 2014 को हड़बड़ी में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्यादेश 2014 के व्यापक विरोध के कारण 2015 के अध्यादेश में शामिल विभिन्न संशोधनों जैसे प्रत्येक

प्रभावित परिवार में से न्यूनतम एक व्यक्ति को रोजगार, जनजातीय भूमि का अधिग्रहण न करने, निजी शिक्षण संस्थाओं एवं अस्पतालों के लिए भूमि अधिग्रहण न करने के फैसले के बावजूद भूमि अधिग्रहण कानून 2013 (संशोधन) 2015 के मूल में सामाजिक प्रभावों के आकलन की व्यवस्था को दर–किनार किया जाना, किसानों की सहमति और खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों को समाप्त करने जैसी कुछ ऐसी बातें हैं, जो आपत्तिजनक हैं।

अगस्त 2013 में कृषि पर संसदीय स्थाई समिति ने कहा था कि जीएम फसलों के सभी जमीनी परीक्षणों को रोकना चाहिए, जब तक कि मानव, धरती और जैव विविधता पर इनके प्रभाव पता नहीं लग जाते। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति, जिसमें संबंधित क्षेत्रों के बड़े वैज्ञानिक शामिल थे, ने भी जी.एम. फसलों के खुले में परीक्षणों में निहित खतरों के बारे में कहा था और यह सिफारिश की थी कि जब तक नियामक व्यवस्था पूरी तरह से लागू न हो तब तक जी.एम. फसलों का खुले में परीक्षण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र में भी यही बात रखी गई कि मानव एवं उर्वरा पर दीर्घकालिक प्रभावों का पूरा वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं हो जाता तब तक जी.एम. बीजों की अनुमति नहीं दी जाएगी। असलियत यह है कि जी.एम. फसलों के मामले में हमें अमरीका से तुलना नहीं करनी चाहिए। वहां खेती का दायरा और उसकी पद्धति अगल है। जी.एम. बीज बेचने वाली कम्पनियां भारत में अपना एकाधिकार जमाना चाहती है। हमारे किसानों को उन कम्पनियों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। आज जी.एम. बीज वाली कम्पनियां भारत में बीटी कॉटन का बीज बेचकर जमकर मुनाफा कमा रही है। जो बीज वह यहां बेच रही है, उसकी लागत महज 20 रूपए हैं और 940 रूपए में वह उसे बेच रही है। भारत को आसान बाजार मानकर ये कम्पनियां देश में खाद्य तंत्र पर एकाधिकार चाहती है।

इसलिए स्वदेशी जनसंसद की यह स्पष्ट मान्यता है कि जी.एम. फसलों के जमीनी परीक्षणों पर तुरंत प्रभावी रोक लगनी चाहिए।

सरकारी प्रतिबंध के बावजूद ई–कॉमर्स में विदेशी कंपनियां अपना कारोबार फैला रही है। अपने विशाल संसाधनों का उपयोग करते हुए भारी डिस्काउंट के नाम पर हिंसक (त्तमकं. जवतल) कीमतों के द्वारा ये विदेशी कंपनियां देश से प्रतियोगिता समाप्त कर रही है। इससे एक ओर छोटे और मझले दुकानदारों का कारोबार चौपट हो रहा है, तो दूसरी ओर इन कंपनियों द्वारा करों की चोरी से सरकारों की आय भी प्रभावित हो रही है। विदेशी कंपनियां कानूनों की अस्पष्टता का भी दुरूपयोग कर रही है।

स्वदेशी जन संसद की यह मांग है कि –

1. भूमि सीमित साधन होने के नाते टुकड़ों–टकड़ों में विचार करने के स्थान पर सरकार को इसके उपयोग में लाने का एक समुचित नीति बनानी चाहिए। जिसके अंतर्गत खेती, वन, उद्योग, सड़कों इत्यादि के लिए उपयोग में ला सकने वाली भूमि की सीमा बांधी जानी चाहिए।
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आज तक सरकारों द्वारा अधिग्रहित भूमि और बड़े उद्योगपतियों के पास पड़ी बेकार भूमि, उसके वर्तमान उपयोग तथा खाली पड़ी शेष भूमि के बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया जाए।
3. खेती तथा वन भूमि को किसी भी कीमत पर अन्य उपयोगों के लिए अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
4. निजी उद्योगों की भूमि आवश्यकता की पूर्ति सरकार की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए।
5. इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिग्रहित भूमि का संयमपूर्वक सदुपयोग होना चाहिए तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ैम्) और इंडस्ट्रीयल पार्क्स (प्दकनेजतपंस च्तो) के नाम पर अधिग्रहित भूमि जो अब बेकार पड़ी है, को सर्वप्रथम उपयोग में लाया जाए।
6. भूमि अधिग्रहण में किसानों की सहमति सुनिश्चित हो।
7. भूमि अधिग्रहण से पहले उसकी जरूरत, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन हो।
8. विभिन्न स्तरों पर जी.एम. खाद्य फसलों के जमीनी परीक्षणों को दी गई अनुमतियों को वापिस लेते हुए, उन पर तुरंत प्रभावी रोक लगाई जाए।
9. उपभोक्ता और छोटे कारोबारियों के व्यापक हितों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए विदेशी कंपनियों द्वारा ई–कॉमर्स के माध्यम से कारोबार करने पर तुरंत प्रभावी प्रतिबंध लगाया जाए।
10. बीमा में विदेशी निवेश पर रोक लगाई जाए।
11. पिछले समय में सामरिक साझेदारों को सार्वजनिक उद्यमों को बेचने (जैसे मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बालको, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड इत्यादि) के दुष्परिणाम देश देख चुका है। अतः बजट 2015–16 में सामरिक विनिवेश की घोषित नीति का परित्याग किया जाए।
12. आर्थिक नीतियों में आंतरिक उदारीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाए और लघु उद्योगों की परिभाषा को यथावत रखा जाए।
13. देश में आम जन के लिए उचित दर पर दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और विदेशी कंपनियों के दबाव में देश के पेटेंट कानून के साथ कोई जन स्वास्थ्य विरोधी बदलाव न किया जाए। ❑

प्रतिक्रिया

क्यों सही नहीं है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून, 2013 (संशोधन), अध्यादेश

आर्थिक नीतियों, जिसमें विदेशी निवेशकों समेत कारपोरेट जगत को कर छूट या फायदे दिए जाते हैं, उनके बारे में सरकारों का तर्क यह रहता है कि उससे जीडीपी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

भूमंडलीकरण समर्थक नीतियों के चलते देश और दुनिया में बढ़ती असमानतायें और गरीबी की बदतर होती हालत के कारण नई आर्थिक नीति के प्रति आक्रोश बढ़ा है। आर्थिक नीतियों, जिसमें विदेशी निवेशकों समेत कारपोरेट जगत को कर छूट या फायदे दिए जाते हैं, उनके बारे में सरकारों का तर्क यह रहता है कि उससे जीडीपी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा इत्यादि। लेकिन जब इन कंपनियों को जब विकास के नाम पर आम किसानों से जमीन अधिग्रहित कर आवंटित करने की बात बड़े पैमाने पर शुरू हुई तो उसके खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड) के नाम पर कानूनों और करों में बड़ी रियायतों के साथ–साथ किसानों से अधिग्रहित कर जब बड़े स्तर पर जमीनें आवंटित होना शुरू हुई तो किसान आंदोलन होने शुरू हुए। कई आंदोलनों ने तो उग्र रूप धारण कर लिया। हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार, पश्चिम बंगाल में उस समय की सीपीएम सरकार, हरियाणा में कांग्रेस समेत कई सरकारों को बदनामी झेलनी पड़ी।

अंग्रेज के जमाने के भूमि अधिग्रहण कानून (1894) को जब बदलने की बात आई तो भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने एक ऐसा भूमि अधिग्रहण कानून बनाने की वकालत की, जिसमें किसान की मर्जी के बिना उसका अधिग्रहण न हो सके। बहुफसली या सिंचित भूमि जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, का अधिग्रहण न हो, भूमि अधिग्रहण से होने वाले प्रभावों को सामाजिक आर्थिक प्रभावों की भली भांति आकलन हो और साथ ही साथ किसान की इसकी भूमि का सही मुआवजा भी मिले। 2013 में ऐसा ही एक कानून बन गया, जिसे 'भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून, 2013' कहा गया।

मई 2014 में केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार ने कार्य भार संभाला। नई सरकार का कहना है कि 2013 का कानून अब उद्योगों, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई और कृषि विकास सभी प्रकार के विकास में बाधा बन गया है। इसलिए इस कानून में संशोंधन जरूरी हो गए है। इस बाबत 'भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून, 2013' (संशोधन) अध्यादेश 2014 जारी किया गया। किसानों समेत कई संगठनों ने इस अध्यादेश का व्यापक विरोध किया। इस अध्यादेश को स्थायी कानूनी जामा पहनाने के लिए जरूरी था कि इस बाबत बिल संसद के बजट सत्र में पेश होकर पारित करवाया जाये। राजनीतिक दलों ने भी इसे मौके के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई और तमाम विरोधी दल इस बिल के विरोध में लामबंद हो गए। सरकार के सभी सहयोगी भी उसके साथ नहीं दिखे। ऐसे में लोकसभा में भाजपा के अपने बूते पर बहुमत के चलते यह बिल लोक सभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में इसे पारित करवा पाना असंभव प्रतीत होने लगा।

अध्यादेश के समय ही स्वदेशी जागरण मंच एवं कई किसान संगठनों ने भी इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी थी। ऐसे में सरकार ने विभिन्न पक्षों के साथ बात करते हुए संसद में पारित होने से पहले इस बिल में व्यापक संशोधन स्वीकार करने का मन बनाया। इस बीच चूंकि नियमानुसार 5 अप्रैल को उपरोक्त अध्यादेश निष्प्रभावी होने के कारण सरकार ने प्रारंभिक अध्यादेश में 9 संशोधनों को शामिल करते हुए 3 अप्रैल 2015 को एक नया अध्यादेश फिर से जारी कर दिया।

क्या था पहला अध्यादेश?

'भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून, 2013' में यह प्रावधान थे कि निजी परियोजनाओं के लिए ली जाने वाली भूमि हेतु 80 प्रतिशत भू–स्वामियों से सहमति लेना जरूरी होगा और सार्वजनिक–निजी साझेदारी वाली परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत भू–स्वामियों से सहमति ली जाएगी। साथ ही साथ 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में यह भी प्रावधान था कि प्रभावित परिवारों की पहचान करते हुए भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कानून में यह

प्रावधान था कि बहु–फसली और अन्य कृषि भूमि के अधिग्रहण पर कुछ नियंत्रण होंगे, जैसे बहुफसली और सिंचित भूमि को एक सीमा से ज्यादा अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 'भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून, 2013' में यह भी प्रावधान था कि यदि अधिग्रहित भूमि किसी न किसी कारण से 5 साल तक इस्तेमाल में नहीं लाई जाती तो उसे पुराने भू–स्वामी को वापस कर दिया जाएगा या उसे 'लैंड बैंक' में रखा जाएगा। 'भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना कानून, 2013' निजी अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर लागू नहीं था।

लेकिन 2014 में जब भूमि अधिग्रहण कानून (संशोधन) अध्यादेश आया तो उसमें यह प्रावधान रखा गया कि अभी तक 13 ऐसे कानून, जिनके अंतर्गत कार्यों के लिए ली जाने वाली भूमि अधिग्रहित किए जाने पर वर्ष 2013 का कानून लागू नहीं हागा। इसका मतलब यह था कि इन कानूनों के अंतर्गत ली जाने वाली भूमि के बदले भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार ही मुआवजा मिलेगा। गौरतलब है कि 2013 में बने कानून के अनुसार किसान को उस समय की बाजार कीमत (सर्किल रेट) से 1.25 से 2 गुणा मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ इतनी ही मात्रा में सोलेशियम देने का भी प्रावधान रखा गया। यानि कहा जा सकता है कि अध्यादेश के अनुसार अब इन 13 कानूनों को भी अब भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों में शामिल कर लिया गया और इसलिए किसान को इन अधिग्रहणों में अधिक मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अध्यादेश के इस भाग का कोई विरोध नहीं हुआ।

लेकिन अध्यादेश के अन्य प्रावधान जो विवादित रहे उनमें से प्रमुख यह था कि नए प्रावधानों के अनुसार सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली भूमि के लिए जो 70 प्रतिशत भू–स्वामियों से सहमति और गैर सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली भूमि के लिए 80 प्रतिशत भू–स्वामियों से सहमति की धारा को पांच प्रकार के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए तीन प्रकार की शर्तों को हटा दिया गया। ये पांच प्रकार के प्रयोजन हैं : 1. प्रतिरक्षा, 2. ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर, 3. सस्ते (एफोर्डेबल) आवास, 4. औद्योगिक कॉरीडोर, 5. सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाओं के अंतर्गत वाला इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसमें केन्द्र सरकार के पास भूमि की मलकियत रहे।

इन पांच प्रकार के उद्देश्यों के लिए ली गई भूमि पर अध्यादेश के मुताबित निजी परियोजनाओं हेतु 80 प्रतिशत भू–स्वामियों की सहमति और पीपीपी परियोजनाओं हेतु 70 प्रतिशत भू–स्वामियों की सहमति की शर्त हटा दी गई। साथ ही साथ सामाजिक प्रभाव आकलन की शर्त भी इन पांच कार्यों के लिए ली गई भूमि पर लागू नहीं होगी और बहुफसली और सिंचित भूमि के अधिग्रहण के संबंध में लगाए गए नियंत्रण भी अब लागू नहीं होंगे, ऐसा कहा गया। यही नहीं पांच साल तक भूमि का उपयोग न होने पर उसे पुराने भू–स्वामी (किसान) को वापिस सौंपने का प्रावधान भी ढीला कर यह कहा गया कि पांच साल या उस परियोजना के प्रारंभ होने के समय निश्चित अवधि, जो भी ज्यादा हो, तक बढ़ा दिया गया। निजी अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं के लिए अब यह कानून लागू होगा, लेकिन साथ ही साथ यह उद्देश्य चूंकि सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, इसलिए इन पर भी तीनों प्रकार की शर्तें लागू नहीं होंगी।

अध्यादेश का विरोध करने वाले संगठनों का कहना था कि यह एक प्रतिगामी कदम है, क्योंकि 120 वर्षों के बाद बना एक भूमि अधिग्रहण कानून जिसमें किसानों की सुरक्षा हेतु प्रावधान थे। उनको दर किनार करने का काम किया गया है। उससे सरकार के पास विकास के नाम किसानों से बिना उनकी सहमति के, बिना उसके आर्थिक सामाजिक प्रभावों का आकलन किए जबरन भूमि अधिग्रहित की जा सकेगी। इसके साथ–साथ खाद्य सुरक्षा के प्रावधान को निरस्त किए जाने के कारण बहुफसली, सिंचित और उर्वर भूमि भी उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के नाम पर भेंट हो जाएगी। हालांकि सरकार ने मुआवजे के प्रावधान को छेड़ा नहीं था, फिर भी किसान सरकार इस अध्यादेश से नाराज दिखे।

सरकार का यह कहना था कि कई मामलों जैसे सामरिक तथा आणविक सामर्थ्य इत्यादि उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण, आदि में उद्देश्य बता कर भूमि अधिग्रहण करना देश के सामरिक हित में नहीं हो सकता, इसलिए जिन पांच उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 3 शर्तों को दर किनार किया गया है, उसने सामरिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण भी शामिल है। सरकार का यह भी कहना है कि आज देश की इंडस्ट्रियल कारिडोर समेत कई प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसे पीपीपी मॉडल पर ही बनाया जा सकता है। इसलिए पीपीपी मॉडल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु अधिग्रहण में तीव्रता लाने हेतु यह जरूरी है कि उसकी शर्तों को ढीला किया जाएं इस प्रकार जिन उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने की कवायद इस अध्यादेश में की गई है, सभी के लिए सरकार कने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं।

जहां तक 5 साल तक अनुप्रयुक्त भूमि को पुराने भू–स्वामी (किसान) को सौंपने की शर्त है, सरकार का मनाना है कि कई बार परियोजना शुरू होने में ही बहुत समय लग जाता है, इसलिए पांच साल बाद ही भूमि की वापसी का प्रावधान

लोगों को निवेश करने के लिए हतोत्साहित करेगा, इसलिए उसमें बदलाव करके 'परियोजना को लगाने के लिए आवश्यक समय सीमा या 5 साल, जो भी ज्यादा हो', से बदला गया है।

अध्यादेश में संशोधन

किसान एवं अन्य संगठनों, मित्र और विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा अध्यादेश के व्यापक विरोध के बाद सरकार ने राजनीतिक परिवक्वता का परिचय देते हुए यह कहा कि वे इस अध्यादेश में उन तमाम परिवर्तनों को करने के लिए तैयार हैं जो किसान के हित में हों। ऐसे में सरकार द्वारा कई संशोधन स्वीकार किए गए हैं। इसमें एक तो यह है कि निजी परियोजनाओं के लिए अब शर्तों को ढ़ीला करने वाला प्रावधान लागू नहीं होगा, दूसरे, वनवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण में यह संशोधन लागू नहीं होंगे। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि इस बात का ध्यान रखा जायेगा केवल अपवाद रूप में ही बहुफसली एवं सिंचिंत भूमि का अधिग्रहण हो। सरकार का कहना है कि अपवाद रूप में किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए थोड़ी–बहुत बहुफसली और सिंचिंत भूमि को भी लिया जाना जरूरी हो जाता है, उदाहरण के लिए यदि कोई रेलवे लाईन बिछाई जा रही है, अधिसंख्यक रूप से बंजर भूमि ही उसके लिए अधिग्रहित की जाए, लेकिन बीच में यदि कोई बहुफसली या सिंचिंत आती है तो उसे लेना भी जरूरी हो जाता है। कहा जा रहा है कि केवल पीपीपी मॉडल पर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं पर ही नए संशोधन लागू होंगे और निजी परियोजनाओं को उससे बाहर रखा जाएगा। यह भी मान्य किया गया है कि निजी अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं के लिए भी शर्तों को ढ़ीला करने का प्रावधान नहीं होगा। साथ ही सरकार ने यह भी माना है कि हर प्रभावित किसान के परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को परियोजना में रोजगार दिया जाएगा। कुछ हलकों मे यह बात भी आ रही है कि सरकार किसानों से सहमति की धारा को भी लाने के लिए तैयार है।

हालांकि नये जारी अध्यादेश में पूर्व के अध्यादेश में 9 परिवर्तन होने के बाद अध्यादेश का कुछ मित्र संगठनों ने सही माना है, लेकिन विरोधी राजनीतिक दल इस अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के विरोध में हैं। हालांकि बिल को पुनः लोकसभा में पारित करवा लेने के बाद भी राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत ने होने के कारण अब सरकार ने नये बिल को जीएसटी बिल के साथ–साथ संसद की विशेष समिति को सौंप देने की घोषणा की है, जिसमें 19 लोकसभा के सदस्य होंगे और 11 सदस्य राज्यसभा से होंगे।

कहा जा सकता है कि सरकार ने इस भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को प्रतिष्ठा का विषय न बनाकर उसमें जनहित में उसे संसदीय समिति को भी सुझावों के लिए सौंप दिया है। मानना होगा कि औद्योगिक विकास के साथ–साथ कृषि और अन्य प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर की, देश के विकास के लिए जरूरत है। इन सब के लिए जमीन की जरूरत होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि कानूनों में कोई फेर–बदल करना हो तो उससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। ऐतराज को केवल तब होता है, जब सरकार अमीरों और कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कानूनों में बदलाव करती है। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

अनसुना न करें, डोलती धरती के बोल

''मैं आया नहीं हूं; मुझे मां नहीं बुलाया है'' – क्या यह कहने वाले प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि वह हस्तक्षेप करते और कहते कि मुझे मेरी मां गंगा और पिता हिमालय की कीमत पर बिजली नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने 2014 की अपनी पहली नेपाल यात्रा में ही उसे पंचेश्वर बांध परियोजना का तोहफा दिया। वहां से लौटे विमल भाई बताते हैं कि 280 मीटर ऊंचाई की यह प्रस्तावित परियोजना, खुद भूकम्प जोन 4–5 में स्थित है। मध्य हिमालय का एक बड़ा हिस्सा इसके दुश्प्रभाव में आने वाला है। आगे जो होगा, उसका दोश किसका होगा; सोचिए?

■ अरुण तिवारी

धरती डोली। एक नहीं, कई झटके आये। नेपाल में तबाही हुई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी – माउंट एवरेस्ट की जीतने निकले 18 पर्वतारोहियों को मौत ने खुद जीत लिया। जैसे–जैसे प्र ाासन और मीडिया की पहुंच बढती गई, मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। इसका कुछ दर्द तिब्बत, असम,बिहार, प ि चम बंगाल, उत्तर प्रदे ा ने भी झेला। दह ात में रात, दिल्लीवासियों ने भी गुजारी।

जरूरी है कि हम सभी इससे दुखी हों। यमन की तरह, नेपाल के मोर्चे पर भारत सरकार मुस्तैद दिखी। इस बार आपदा प्रबंधन निगरानी की कमान, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद संभाली। एयरटेल ने नेपाल में फोन करना मुफ्त किया। बीएसएनएल ने तीन दिन के लिए नेपाल कॉल रेट, लोकल किया। स्वामी रामदेव बाल–बाल बचे। सोशल मीडिया पर लोगों ने सभी की सलामती के लिए दुआ मांगी। मीडिया ने भी जानकारी और दुआओं के लिए अपना दिल खोल दिया। भूकंप में अपनी सुरक्षा कैसे करें? कई ने इस बाबत् शिक्षित करने का दायित्व निभाया। हम, इन सभी कदमों की प्रशंसा करें। किंतु क्या हम इस कदम की प्रशंसा करें कि नदी और जल से जुड़े मंत्रालय की केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हिमालयी उत्तराखण्ड में जलविद्युत परियोजनाओं को दी ताजा मंजूरी को लेकर सवाल उठाया और किसी न इसकी परवाह ही नहीं की।

प्रशंसनीय नहीं ये कदम

उमा भारती ने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण गंगा जी का पारिस्थितिकीय प्रवाह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जायेगा। तमाम अदालती आदेश के बावजूद जारी खनन के खिलाफ मातृसदन, हरिद्वार के संत स्वामी शिवानंद सरस्वती को एक बार फिर अनशन पर बैठना पड़ा क्या किसी ने परवाह की? परवाह करें, क्योंकि असलियत यह है कि परियोजनाओं हेतु बांध, सुरंग, विस्फोट, निर्माण तथा मलवे के कारणगंगा, हिमालय और हिमवासी.. तीनों ही तबाह होने वाले हैं। ''मैं आया नहीं हूं; मुझे मां नहीं बुलाया है'' – क्या यह कहने वाले प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि वह हस्तक्षेप करते और कहते कि मुझे मेरी मां गंगा और पिता हिमालय की कीमत पर बिजली नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने 2014 की अपनी पहली नेपाल यात्रा में ही उसे पंचेश्वर बांध परियोजना का तोहफा दिया। वहां से लौटे विमल भाई बताते हैं कि 280 मीटर ऊंचाई की यह प्रस्तावित परियोजना, खुद भूकम्प जोन 4–5 में स्थित है। मध्य हिमालय का एक बड़ा हिस्सा इसके दुश्प्रभाव में आने वाला है। आगे जो होगा, उसका दोश किसका होगा; सोचिए?

भूकंप में अपनी सुरक्षा कैसे करें? कई ने इस बाबत् शिक्षित करने का दायित्व निभाया। हम, इन सभी कदमों की प्रशंसा करें। किंतु क्या हम इस कदम की प्रशंसा करें कि नदी और जल से जुड़े मंत्रालय की केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हिमालयी उत्तराखण्ड में जलविद्युत परियोजनाओं को दी ताजा मंजूरी को लेकर सवाल उठाया और किसी न इसकी परवाह ही नहीं की।

हिमालयी जलस्रोत वाली नदियों में बांध और सुंरगों का हिमवासी और पर्यावरणविद् लगातार विरोध कर रहे हैं? क्या कोई सरकार आज तक कोई बांध नीति बना पाई? प्रधानमंत्री जी ने 2014 की अपनी पहली नेपाल यात्रा में ही उसे पंचेश्वर बांध परियोजना का तोहफा दिया। वहां से लौटे विमल भाई बताते हैं कि 280 मीटर ऊंचाई की यह प्रस्तावित परियोजना, खुद भूकम्प जोन 4–5 में स्थित है। मध्य हिमालय का एक बड़ा हिस्सा इसके दुश्प्रभाव में आने वाला है। आगे जो होगा, उसका दोश किसका होगा;

सोचिए? नदी नीति, हिमालयी क्षेत्र के विकास की अलग नीति और मंत्रालय की मांग को लेकर लंबे समय से कार्यकर्ता संघर्शरत् हैं। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है ? क्या हम इसकी प्रशंसा करें ?

राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि इसका मकसद यह बताना भी था कि कभी त्रासदी का शिकार हुआ केदारनाथ इलाका अब ठीक कर लिया गया है। देशभर से पर्यटक अब यहां आ सकते हैं। मात्र दो वर्श पूर्व उत्तराखण्ड में हुई तबाही को आखिर कोई कैसे भूल सकता है? प्रथम इंसान की रचना हिमालय में हुई। हिमालय को देवभूमि कहा ही जाता है। इस नाते हिमालय पर्यटन नहीं, तीर्थ का क्षेत्र है। अब विनाश की आवृति के तेज होने के संदेश भी यहीं से मिल रहे हैं। पर्यटन और पिकनिक के लिए हिमालय में पर्यटकों की बाढ़ आई, तो तबाही पर नियंत्रण फिर मुश्किल होगा। क्या किसी ने टोका कि कृपया गलत संदेश न दें?

मात्र दो वर्श पूर्व उत्तराखण्ड में हुई तबाही को आखिर कोई कैसे भूल सकता है? प्रथम इंसान की रचना हिमालय में हुई। हिमालय को देवभूमि कहा जाता है। इस नाते हिमालय पर्यटन नहीं, तीर्थ का क्षेत्र है। अब विनाश की आवृति के तेज होने के संदेश भी यहीं से मिल रहे हैं। पर्यटन और पिकनिक के लिए हिमालय में पर्यटकों की बाढ़ आई, तो तबाही पर नियंत्रण फिर मुश्किल होगा। क्या किसी ने टोका कि कृपया गलत संदेश न दें?

हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन एक स्वाभाविक घटना

कहा गया कि यह पिछले 30 सालों में दुनियाभर में आये भूकंपों की तुलना में सबसे तीव्र भूकंप था। गौरतलब है कि आज इससे ज्यादा जरूरत, यह कहने की है कि यह भूकंप न पहला है और न आखिरी। भूकंप पहले भी आते रहे हैं; आगे भी आते ही रहेंगे। हिमालय की उत्तरी ढाल यानी चीन के हिस्से में कोई न कोई आपदा, महीने में एक–दो बार हाजिरी लगाने जरूर आती है।कभी यह ऊपर से बरसती है और कभी नीचे सब कुछ हिला के चली जाती है। अबइनके आने की आवृति, हिमालय की दक्षिणी ढाल यानी भारत, नेपाल और भूटान के हिस्से में भी बढ गई हैं। ये अब होगा ही। इनके आने के स्थान और समय की घोशणा सटीक होगी; अभी इसका दावा नहीं किया जा सकता। भूकम्प का खतरा हिमालय में इसलिए भी ज्यादा है, चूंकि शेश भू–भाग, हिमालय को पांच सेंटीमीटर प्रतिवर्श की रफ्तार से उत्तर की तरफ धकेल रहा है। इसका मतलब कि हिमालय चलायमान है। हिमालय में हमेशा हलचल होती रहती है। एक प्लेट, दूसरी प्लेट को नीचे की तरफ ढकेलती रहती है। एक प्लेट उठेगी, तो दूसरी नीचे धसकेगी ही।यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस नाते हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन का होते रहना स्वाभाविक घटना है।

हिमालयी समझ जरूरी

हिमालय के दो ढाल हैं : उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी में भारत, नेपाल, भूटान हैं। उत्तराखण्ड को सामने रख दक्षिणी हिमालय को समझ सकते हैं। उत्तराखण्ड की पर्वत श्रृंखलाओं के तीन स्तर हैं : शिवालिक, उसके ऊपर लघु हिमाल और उसके ऊपर ग्रेट हिमालय। इन तीन स्तरों मे सबसे अधिक संवेदनशील है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय की मिलान पट्टी। इस संवेदनशीलता की वजह है, इस मिलान पट्टी में मौजूद गहरी दरारें। उत्तराखण्ड में दरारें त्रिस्तरीय हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बढती 2000 किमी लंबी, कई किलोमीटर गहरी, संकरी और झुकी हुई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुण्ड, गुप्तकाशी, पिंडारी नदी मार्ग, गौरी गंगा और काली नदी –ये सभी इलाके दरारयुक्त हैं। भागीरथी के ऊपर लोहारी–नाग–पाला तक का क्षेत्र दरारों से भरा है। दरार क्षेत्र में करीब 50 किमी चौड़ी पट्टी भूकम्प का केन्द्र है। बजांग, धारचुला, कफकोट, पेजम आदि कई इलाके भूकम्प का मुख्य केन्द्र हैं।भूखण्ड सरकने की वजह से दरारों की गहराई में मौजूद ग्रेनाइट की चट्टानें रगड़ती–पिसती–चकनाचूर होती रहती हैं। ताप निकल जाने से जम जाती है। फिर जरा सी बारिश से उधड़ जाती हैं। उधड़कर निकला मलवा नीचे गिरकर शंकु के आकार में इक्ट्ठा हो जाता है। वनस्पति जमकर उसे रोके रखती है। यह भी स्वाभाविक प्रकिया है। किंतु इसे मजबूत समझने की गलती,हमारा अस्वाभाविक कदम होगा। पर्वतराज हिमालय की हकीकत और इजाजत को जाने बगैर... इसकी परवाह किए बगैर निर्माण करने को स्वाभाविक कहना, नासमझी ही कहलायेगी। मलवे या सड़कों में यदि पानी रिसेगा, तो विभीशिका सुनिश्चित है। जब तक ऐसी नासमझी जारी रहेगी, तब तक विनाश रोकना संभव नहीं होगा।

समझें कि पहले पूरे लघु हिमालय क्षेत्र में एकसमान बारिश होती थी। अब वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण अनावृश्टि और अतिवृश्टि का दुश्चक्र चल रहा है। यह और चलेगा। अब कहीं भी

यह होगा। कम समय में कम क्षेत्रफल में अधिक वर्शा होगी ही। इसे 'बादल फटना' कहना गलत संज्ञा देना है। जब ग्रेट हिमालय में ऐसा होगा, तो ग्लेशियर के सरकने का खतरा बढ जायेगा। हमे पहले से चेतना है। याद रखना है कि नेपाल भूकंप से पहले कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड और उत्तर–पूर्व में विनाश इसलिए नहीं हुआ कि आसमान से कोई आपदा बरसी; विनाश इसलिए हुआ, चूंकि हमने हिमाद्रि यानी आद्र हिमालय में निर्माण के खतरे की हकीकत और इजाजत को याद नहीं रखा।

गलतियां कई

दरअसल, हमने हिमालयी इलाकों में आधुनिक निर्माण करते वक्त गलतियां कईं की। हमने दरारों वाले इलाके में भी मनमाने निर्माण किए। लंबी–लंबी सुरंगों को बनाने के लिए डायनामाइट लगाकर पहाड़ का सीना चाक किया। ध्यान से देखें तो हमें पहाड़ियों पर कई 'टैरेस' दिखाई देंगे। 'टैरेस' यानी खड़ी पहाड़ी के बीच–बीच में छोटी–छोटी सपाट जगह। स्थानीय बोली में इन्हे 'बगड़' कहते हैं। 'बगड़' नदी द्वारा लाई उपजाऊ मिट्टी से बनते हैं। यह उपजाऊ मलवे के ढेर जैसे होते हैं। पानी रिसने पर बैठ सकते हैं। हमारे पूर्वजो ने बगड़ पर कभी निर्माण नहीं किया था। वे इनका उपयोग खेती के लिए करते थे। हम बगड़ पर होटल–मकान बना रहे हैं। हमने नहीं सोचा कि नदी नीचे है; रास्ता नीचे; फिर भी हमारे पूर्वजों ने मकान ऊंचाई पर क्यों बसाये ? वह भी उचित चट्टान देखकर। वह सारा गांव एक साथ भी तो बसा सकते थे। नहीं! चट्टान जितनी इजाजत देती थी, उन्होने उतने मकान एक साथ बनाये; बाकी अगली सुरक्षित चट्टान पर। हमारे पूर्वज बुद्धिमान थे।

उन्होंने नदी किनारे कभी मकान नहीं बनाये। सिर्फ पगडंडियां बनाईं। हम मूर्ख हैं। हमने क्या किया? नदी के किनारे–किनारे सड़कें बनाई। हमने नदी के मध्य बांध बनाये। मलवा नदी किनारे फैलाया। हमने नदी के रास्ते और दरारों पर निर्माण किए। बांस–लकड़ी की जगह पक्की कंकीट छत और मकान.... वह भी बहुमंजिली। तीर्थयात्रा को पिकनिक यात्रा समझ लिया है। एक कंपनी ने तो भगवान केदारनाथ की तीर्थस्थली पर बनाये अपने होटल का नाम ही 'हनीमून' रख दिया है। सत्यानाश! हम 'हिल व्यि' से संतुश्ट नहीं हैं। हम पर्यटकों और आवासीय ग्राहकों को सपने भी 'रिवर व्यि' के ही बेचना चाहते हैं।यह गलत है, तो नतीजा भी गलत ही होगा। प्रकृति को दोश क्यों ?

उन्होने वाहनों को 20–25 किमी से अधिक गति में नहीं चलाया। हमने धड़धड़ाती वोल्वो बस और जेसीबी जैसी मशीनों के लिए पहाड़ के रास्ते खोल दिए। पगडंडियों को राजमार्ग बनाने की गलत की। यह न करें। अब पहाड़ों में और ऊपर रेल ले जाने का सपना देख रहे हैं। क्या होगा? पूर्वजों ने चौड़े पत्ते वाले बांझ, बुरांस और देवदार लगाये। एक तरफ से देखते जाइये! इमारती लकड़ी के लालच में हमारे वन विभाग ने चीड़ ही चीड़ लगाया। चीड़ ज्यादा पानी पीने और एसिड छोड़ने वाला पेड़ है। हमने न जंगल लगाते वक्त हिमालय की संवेदना समझी और न सड़क, होटल, बांध बनाते वक्त। अब तो समझें।

हिमालय हम से क्या चाहता है?

दरारों से दूर रहना, हिमालयी निर्माण की पहली शर्त है। जल निकासी मार्गों की सुदृढ व्यवस्था को दूसरी शर्त मानना चाहिए। हमें चाहिए कि मिटटी–पत्थर की संरचना और धरती के पेट को समझकर निर्माण स्थल का चयन करें।जलनिकासी के मार्ग में निर्माण नहीं करें।नदियों को रोके नहीं, बहने दें।जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी दरारें हैं लेकिन सड़क मार्ग का चयन और निर्माण की उनकी तकनीक ऐसी है कि सड़के के भीतर पानी रिसने–पैठने की गुंजाइश नगण्य है। इसीलिए सड़कें बारिश में भी स्थिर रहती हैं। हम भी ऐसा करें।

संयम की सीख

हिमालय को भीड़ और शीशे की चमक पसंद नहीं। अतः वहां जाकर मॉल बनाने का सपना न पालें। इसकी सबसे ऊंची चोटी पर अपनी पताका फहराकर, हिमालय को जीत लेने का घमंड पालना भी ठीक नहीं। हिमालयी लोकास्था, अभी भी हिमालय को एक तीर्थ ही मानती है। हम भी यही मानें। तीर्थ, आस्था का विशय है। वह तीर्थयात्री से आस्था, त्याग, संयम और समर्पण की मांग करती है। हम इसकी पालना करें। बड़ी वोल्वो में नहीं, छोटे से छोटे वाहन में जायें। पैदल तीर्थ करें, तो सर्वश्रेश्ठ। आस्था का आदेश यही है। एक तेज हॉर्न से हिमालयी पहाड़ के कंकड़ सरक आते हैं। हिमालय को गंदगी पसंद नहीं। अपने साथ न्यूनतम सामान ले जायें और अधिकतम कचरा वापस लायें। आपदा प्रबंधन तंत्र और तकनीक को सदैव सक्रिय और सर्वश्रेश्ठ बनायें।

हम ऐसी गतिविधियों को अनुमाति न दें, जिनसे हिमालय की सेहत पर गलत फर्क पड़े और फिर अंततः हम पर। हिमवासी, हिमालय की सुरक्षा की गारंटी लें और मैदानवासी, हिमवसियों के जीवन जरूरतों की। जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी हिमालयी प्रदेशों के विकास और निर्माण की ऐसी नीति बनायें, जिनसे हिमवासी भी बचे रह सकें और हमारे आँसू भी। ❑

जाना-पहचाना संकट

सबसे बड़ी जरूरत राष्ट्रीय कृषक आय आयोग बनाने की है, जिसका काम अपनी फसल की उत्पादकता पर निर्भर किसानों को मासिक पैकेज सुनिश्चित करना होना चाहिए। अगर एक चपरासी को कम से कम पंद्रह हजार रुपये महीने की तनख्वाह मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी को 18500 हर महीने मिलते हैं तो अन्नदाता की एक निश्चित मासिक आमदनी क्यों नहीं होनी चाहिए?

■ **देविन्दर शर्मा**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे कृषि ऋणों को पुनर्गठित करें। उन्होंने बीमा कंपनियों को भी दावों को निपटाने में तत्परता से काम करने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि संकट के समय किसानों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन इलाकों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है वहां का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम भेजी गई है।

यह निःसंदेह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन एक बार जब बेमौसम बारिश का संकट खत्म हो जाएगा, राहत बंट जाएगी और देश का ध्यान इससे हट जाएगा कि फसलों को कितना नुकसान हुआ और इसका खाद्य महंगाई पर क्या असर पड़ेगा तो किसानों को एक बार फिर भुला दिया जाएगा। यही खेती–किसानी के लिए हाल के वर्षों में सबसे बड़ी त्रासदी रही है। दरअसल यही मुख्य कारण है जिसके चलते कृषि की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। किसानों की जानबूझकर अनदेखी की जाती है।

पिछले बीस वर्षों में तीन लाख के करीब किसानों ने अपनी जान दी है। इसका मतलब है कि हर घंटे दो किसान आत्महत्या कर लेते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि अभी यह संख्या और कितनी बघ्नी चाहिए जिसके बाद देश जागेगा और उनकी परेशानियों की सुधि लेगा। स्पष्ट रूप से कहें तो बेमौसम बारिश ने किसानों को जिस तरह आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है वह बस इस सच्चाई की बानगी है कि कृषि अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है। मौसम में थोड़ा–बहुत हेरफेर यानी बेमौसम बारिश, तेज हवाएं, सूखे जैसी स्थितियां भी किसानों के लिए संकट को इस हद तक बड़ा देती हैं कि वे उनका सामना नहीं कर पाते।

पिछले एक माह में जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनमें से कई की मौत हृदयगति रुकने से हुई। यानी वे अपनी खड़ी फसल की बर्बादी के दुख को सहन नहीं कर सके। मतलब यह है कि किसानों की आजीविका सुरक्षा एक कच्चे धागे की तरह है जो एक हल्के झटके से भी टूट सकती है। कृषि अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है, इसकी चर्चा अक्सर की जाती है, लेकिन इसे समझा बहुत कम जाता है। अक्सर यह मान लिया जाता है कि संकट के समय ठीक–ठाक राहत पैकेज पर्याप्त होता है। कोई भी यह नहीं महसूस करता है कि इस प्रकार का हर संकट किसानों की आर्थिक ताकत को तीन साल पीछे पहुंचा देता है।

कृषि अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है, इसकी चर्चा अक्सर की जाती है, लेकिन इसे समझा बहुत कम जाता है। अक्सर यह मान लिया जाता है कि संकट के समय ठीक–ठाक राहत पैकेज पर्याप्त होता है। कोई भी यह नहीं महसूस करता है कि इस प्रकार का हर संकट किसानों की आर्थिक ताकत को तीन साल पीछे पहुंचा देता है।

इसे और अधिक साफ तरह से समझने के लिए मैंने कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की हाल की खरीफ और रबी की फसलों पर आधारित रिपोर्ट को पड़ा। सीएसीपी के दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन करने पर यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि किसान क्यों आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। जब तक सरकार किसानों को निश्चित मासिक आमदनी प्रदान करने के लिए जी–जान से प्रयास नहीं करती तब तक मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि किसानों की डूबती अर्थव्यवस्था उबर सकेगी। आइए देखते हैं कि कुछ प्रमुख फसलों की पैदावार के संदर्भ में लागत और लाभ की स्थिति क्या है।

सीएसीपी सरकार का अपना संगठन है, जो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन

मूल्य का आधार तय करता है। लिहाजा उसकी गणनाएं दूसरे अध्ययनों और सर्वे से कहीं अधिक सटीक होती हैं। अपनी हाल की रिपोर्ट में सीएसीपी ने 2010–11 और 2012–13 की अवधि में औसत लागत और लाभ की गणना की है। अब अपनी सांसें रोकिए। पूरे देश के स्तर पर गेहूं की फसल में नेट रिटर्न यानी कुल लाभ 14260 रुपये प्रति हेक्टेयर है। तिलहन के लिए यह 14960 रुपये और चने के लिए 7479 रुपये प्रति हेक्टेयर।

चूंकि किसानों की आत्महत्या की ज्यादातर घटनाएं उत्तर प्रदेश से आती हैं इसलिए मैंने इस क्षेत्र में किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले गेहूं–धान फसल के पैटर्न पर आधारित लागत और लाभ का अध्ययन किया। गेहूं के लिए एक किसान द्वारा अर्जित किया जाने वाला औसत लाभ या आमदनी 10758 रुपये प्रति हेक्टेयर है। चूंकि गेहूं छह माह की फसल है इसलिए इसकी फसल करने वाले एक किसान की औसत आमदनी 1793 रुपये प्रति हेक्टेयर बैठती है। गेहूं की फसल से इतने कम लाभ के बाद उत्तर प्रदेश के किसी किसान के लिए आत्महत्या का मार्ग चुनने की पूरी आशंका होती है।

आइए अब उसकी वार्षिक आमदनी देखते हैं। अगर वह धान की फसल भी लगा रहा है तो नेट रिटर्न हद से हद 4311 रुपये हो जाता है। अगर दोनों आमदनी यानी गेहूं और धान से होने वाली आय जोड़ दी जाएं तो यह राशि 15669 रुपये हो जाती है यानी 1306 रुपये प्रति माह। अब आप कहेंगे कि पंजाब में औसत राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा होगा। सीएसीपी ने गेहूं के लिए पंजाब में नेट रिटर्न 18701 रुपये प्रति हेक्टेयर निकाला है। बिहार में किसान की औसतन आय 9986 रुपये है यानी पंजाब के किसान को मिलने वाली राशि से लगभग आधी। खरीफ की फसलों की बात करें तो सीएसीपी के अनुमान 2009–2010 से 2011–12 के बीच हैं।

देश में धान के लिए कुल आमदनी बमुश्किल साढ़े चार हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है। एक अन्य प्रमुख फसल कपास के लिए नेट रिटर्न 15689 रुपये प्रति हेक्टेयर है। अगर राज्यवार लागत को देखें तो पंजाब में धान की फसल 17651 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ देती है। हरियाणा में यह 17960 रुपये है और आंध्र प्रदेश में 6483 रुपये। बिहार और असम में धान के किसानों को नकारात्मक रिटर्न मिलता है। इसका मतलब है कि उन्हें कुल मिलाकर नुकसान होता है। असम में नुकसान 3361 रुपये प्रति हेक्टेयर है और बिहार में 266 रुपये। पंजाब और हरियाणा के किसान आम तौर पर धान के साथ गेहूं की पैदावार करते हैं। इन दो फसलों के संयुक्त लाभ को देखें। गेहूं पंजाब के किसानों को 18701 रुपये प्रति हेक्टेयर का लाभ देता है।

इसे अगर धान से होने वाले लाभ से जोड़ा जाए तो राशि आती है एक वर्ष में 36352 रुपये प्रति हेक्टेयर। इसका मतलब है कि पंजाब में एक कृषक परिवार के लिए मासिक आमदनी हुई 3029 रुपये। हां, आपने सही पढ़ा 3029 रुपये। अगर यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का औसत है, जिसे देश का खाद्य कटोरा कहा जाता है तो मैं सोच सकता हूँ कि देश के दूसरे हिस्सों में किसानों की क्या हालत होगी? किसान इसीलिए आत्महत्या कर रहे हैं और यही कारण है कि उनकी बहुत बड़ी संख्या खेती–किसानी को छोड़ना चाहती है।

सबसे बड़ी जरूरत राष्ट्रीय कृषक आय आयोग बनाने की है, जिसका काम अपनी फसल की उत्पादकता पर निर्भर किसानों को मासिक पैकेज सुनिश्चित करना होना चाहिए। अगर एक चपरासी को कम से कम पंद्रह हजार रुपये महीने की तनख्वाह मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी को 18500 हर महीने मिलते हैं तो अन्नदाता की एक निश्चित मासिक आमदनी क्यों नहीं होनी चाहिए? मध्यम वर्ग के लिए खाद्य पदार्थों की कीमतों को नीचे रखने की जिम्मेदारी केवल किसान ही क्यों उठाएं? ❑

मुफ्त में नहीं हो सकेगी किसान की बीमा

किसान की स्थिति में सुधार करने का एकमात्र उपाय है कि फसल के दाम बढ़ाए जाएँ जिससे वह मौसम की मार को झेल सके तथा ड्रिपसिंचाई के उपकरण खरीद सके। लेकिन अपनी कृशि को विश्व बाजार से जोड़ने से दाम मे यह वृद्धि संभव नही है। देश मे दाम ऊँचे होंगे तो सस्ते आयात प्रवेश करेंगे। अतः सरकार को डब्ल्यूटीओ में मौलिक परिवर्तन के लिये दूसरे देशों को लामबन्द करना होगा। विकसित देश किसान को भारी सब्सीडी दे रहे हैं। उनकी लागत जादा है परन्तु वे सब्सिडी के बल पर अपने माल को अर्न्तराश्ट्रीय बाजार में सस्ता बेच रहे हैं। यह सस्ता माल भारत में भी प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप हमारा किसान पस्त है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

असमय बारिश तथा तूफान से सम्पूर्ण उत्तरी भारत मे खेती का भारी नुकसान हुआ है और लगभग एक हजार किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए है। इन आत्महत्याओं का ठीकरा मौसम पर फोड़ना उचित नहीं होगा।

असल समस्या है कि किसान की सहनशक्ति का ह्रास हो गया है। जैसे व्यक्ति स्वस्थ हो तो दो दिन भूखा रह सकता है। परन्तु बीमार व्यक्ति उन्ही दो दिनों मे मृत्यु को प्राप्त होगा चूँकि उसकी सहनशक्ति नही है। इसी प्रकार किसान का बैंक बैलेंस समाप्त हो गया है। एक फसल खराब हुई तो वह चारों खाने चित्त। बैंक तथा साहूकार उसके घर ऋण वसूली को पहुँच जाते है।

किसान की एकमात्र समस्या है कि उसे फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। बिजली नहीं मिलती है। खाद के दाम ऊंचे हैं। फसल ज्यादा हो गई तो मंडी में दाम गिर जाता है और किसान पिटता है। फसल कम हुयी तो बेचने को भूसा बचता है और पुनः किसान पिटता है। पिछले साठ वर्शों में सरकार की पालिसी रही है कि खाद्यान्न के मूल्य न्यून रखो जिससे भाहरी मिडिल क्लास को आराम मिले। खेती घाटे का व्यवसाय होने से किसान का बैंक बैलेंस भून्य है और उसकी सहन भाक्ति कमजोर है।

किसान की समस्या दूर करने को मोदी ने किसानो को ''सायल हेल्थ कार्ड'' देने की योजना बनाई है। किसान को पता लग जायेगा कि उसकी भूमि में किस उर्वरक की कमी है। तदानुसार वह फर्टीलाइजर की उचित मात्रा का उपयोग करेगा और अच्छी फसल उगायेगा। परन्तु ज्यादा फसल उगाने से किसान का भला कैसे होगा, यह मेरी समझ के परे है। ज्यादा फसल होने पर दाम गिरेंगे और किसान फिर भी पिटेगा।

मोदी का दूसरा प्रस्ताव है कि अच्छी मंडियां स्थापित की जाएंगी। बात अच्छी है। परन्तु इससे किसान को दाम उंचा कैसे मिलेगा? मंडी में दाम बाजार भाव के हिसाब से तय होते हैं। आज पांच रुपये किलो में आलू के खरीददार उपलब्ध नहीं हैं। कारण कि ठेलेवाला आलू दस रुपये में बेचता है। उसका मार्जिन, बिचौलिये का मार्जिन, ढुलाई खर्च इत्यादि काट दें तो किसान को 3–4 रुपये बमुश्किल मिल सकेंगे। आधुनिक कम्प्यूटरीकृत मंडी बनाने से गृहणी 10 रुपए के स्थान पर 12 रुपए में आलू खरीदने लगेगी क्या? मैं आधुनिक मंडी का विरोध नही कर रहा हूँ। इसे अवश्य बनाना चाहिए। लेकिन इससे समस्या का समाधान नही निकलेगा जैसे कैन्सर के रोगी को सरदर्द की दवा देने से उसकी बीमारी का समाधान नही निकलता है।

मोदी का तीसरा सुझाव है कि किसान ड्रिप एवं स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। लेकिन इसका खर्च कौन उठायेगा? उससे उपजी अधिक फसल कम्प्यूटरीकृत मंडी में पहुंचेगी तो उसे पानी के भाव बिकने से कौन रोक पायेगा?

मोदी की कृशि पालिसी यूपीए की तरह असफल है। किसान को फसल का उचित दाम दिलाने का मोदी के पास एक भी उपाय नहीं है। पस्त किसान को मोदी पेंशन का खयाली पुलाव परोस रहे हैं। पंजाब के किसानों को सम्बोधित करते हुये मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने योजना बनाई है जिसमे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल पर किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने पांच हजार की पेंशन मिल सकती है।

प्रधान मंत्री ने ''पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल'' की रूपरेखा को स्पश्ट नहीं किया लेकिन पंजाब के मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने स्पश्ट किया है कि इस योजना का आकार नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के समान हो सकता है। तो आइये देखें कि एनपीएस की व्यवस्था क्या है? सरकारी कर्मियों के लिये एनपीएस अनिवार्य है। इन्हें अपने वेतन का 10 प्रतिशत इस योजना में जमा करना होगा और इतना ही योगदान सरकार के द्वारा जमा कराया जाता है। लेकिन गैर सरकारी पालिसी धारकों को यह योगदान नहीं दिया जाता है। इनके द्वारा जो रकम जमा कराई जाती है उसी के अनुसार पेंशन दी जाती है। व्यक्ति द्वारा बैंक में फिक्स डिपाजिट जमा कराकर ब्याज को पेंशन के रूप में प्राप्त करने तथा एनपीएस में तनिक भी अन्तर नहीं है। गैर सरकारी धारक अपने पैसे से ही पेंशन पाते हैं।

यूपीए सरकार ने स्वावलम्बन योजना भाुरू की थी। इसमें पालिसी धारक द्वारा कम से कम 1000 रुपये का प्रीमियम 20 वर्शों तक जमा कराने पर सरकार द्वारा 1000 रुपये का अनुदान तीन वर्शों तक देने की व्यवस्था थी। पालिसी धारक को कम से कम 20,000 रुपये जमा कराना पड़ता लेकिन सरकार का अनुदान तीन हजार रुपये तक सीमित था। मूल रूप से पालिसी धारक द्वार जमा कराई गई रकम से ही पेंशन मिलती थी। 3,000 रुपये अनुदान हासिल करने के लिये कौन बैंकों तथा इंश्योरेंस एजेंटों के चक्कर लगायेगा? पेंशन का चेक प्राप्त करने के लिये घूस देनी होगी सो अलग।

निर्यात बढ़ने से देश के कृशि उत्पादों के मूल्य बढ़ेंगे और किसान सुखी होगा। तीसरे, फास्फेट और पोटाश का आयात करने के स्थान पर भूसे और गोबर का आयात करना चाहिये। इन प्राकृतिक उर्वरकों के सस्ते में उपलब्ध होने से किसान स्वयं ही रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करेगा। मोदी को किसान की मौलिक समस्याओं पर चर्चा करना चाहिये।

नरेन्द्र मोदी ने स्वावलम्बन योजना में मामूली परिवर्तन किया है। 1000 रुपये से कम प्रीमियम जमा कराने पर सरकार बराबर का अनुदान देगी। अनुदान पांच वर्शों तक दिया जायेगा। लेकिन मूल समस्या पूर्ववत् बनी रहती है। 5,000 के अनुदान को हासिल करने के लिये पालिसी धारक को 20,000 रुपये का प्रीमियम जमा कराना होगा। यह 5,000 रुपया प्रलोभन है। जैसे कोई यात्री दिल्ली से बम्बई जाना चाहता है। मोदीजी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने यात्री को दिल्ली से फरीदाबाद तक की टिकट दिलाया और कह दिया कि आगे की टिकट आप स्वयं खरीद लीजिये। यात्री को बम्बई भेजने की भााबाशी मोदीजी को मिलेगी जबकि मूल खर्च यात्री ही वहन करेगा।

किसान की स्थिति में सुधार करने का एकमात्र उपाय है कि फसल के दाम बढ़ाए जाएँ जिससे वह मौसम की मार को झेल सके तथा ड्रिपसिंचाई के उपकरण खरीद सके। लेकिन अपनी कृशि को विश्व बाजार से जोड़ने से दाम मे यह वृद्धि संभव नही है। देश मे दाम ऊँचे होंगे तो सस्ते आयात प्रवेश करेंगे। अतः सरकार को डब्ल्यूटीओ में मौलिक परिवर्तन के लिये दूसरे देशों को लामबन्द करना होगा। विकसित देश किसान को भारी सब्सीडी दे रहे हैं। उनकी लागत जादा है परन्तु वे सब्सिडी के बल पर अपने माल को अर्न्तराश्ट्रीय बाजार में सस्ता बेच रहे हैं। यह सस्ता माल भारत में भी प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप हमारा किसान पस्त है। डबलूटीओ संधि के बनने के समय विकसित देशों ने सब्सीडी हटाने पर आगे चर्चा करने का वायदा किया था। मोदी को चाहिये कि इस मुद्दे को उठायें और जब तक इस मामले का हल न निकले तब तक कृशि उत्पादों के सस्ते आयातों पर भारी आयात कर लगा दें। दूसरे, उंची कीमत के वैल्यू ऐडेड कृशि उत्पादों के निर्यात् पर सब्सीडी दें। फल, फूल, सब्जी और बासमती चावल के निर्यात् को प्रोत्साहन दें जिससे हम विकसित देशों को उन्हीं के अस्त्र से पलटवार कर सकें। निर्यात् बढ़ने से देश के कृशि उत्पादों के मूल्य बढ़ेंगे और किसान सुखी होगा। तीसरे, फास्फेट और पोटाश का आयात करने के स्थान पर भूसे और गोबर का आयात करना चाहिये। इन प्राकृतिक उर्वरकों के सस्ते में उपलब्ध होने से किसान स्वयं ही रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करेगा। मोदी को किसान की मौलिक समस्याओं पर चर्चा करना चाहिये। ❑

कालाहांडी का बदलता चेहरा

सहभागी विकास अभियान ने टिकाऊ खेती, गांवों व किसानों की आत्म–निर्भरता और पर्यावरण की रक्षा का ऐसा कार्य किया है जो महात्मा गांधी की स्वराज की सोच के अधिक नजदीक है। सिद्धांतों का सम्मान करने के साथ–साथ ये कार्य व्यावहारिक कसौटियों पर खरे उतरे हैं और इस तरह इन प्रयासों से कालाहांडी के बहुत से गांववासियों व किसानों को नई उम्मीद मिली है। इससे जमीन को भी नई उर्वरा शक्ति मिली है और किसानों को भी। अब कालाहांडी का चेहरा तेजी से बदल रहा है।

■ **भारत डोगरा**

एक समय था जब ओडिशा का कालाहांडी भयावह गरीबी, भुखमरी और अभाव का पर्याय बन गया था। कुछ साल पहले के भुखमरी के शिकार सूख कर कांटा हुए बच्चों के फोटो जेहन से नहीं निकलते। कालाहांडी से अधिकांश समाचार ऐसे आते थे जैसे यहां के लोग

पूरी तरह असहाय हैं। इस तरह की सोच के साथ कुछ भ्रांतियाँ भी फैला दी गईं जैसे यहां पानी की बड़ी कमी है और अधिकांश समय यह क्षेत्र सूखाग्रस्त रहता है। ये भ्रांतियां इस हकीकत की उपेक्षा करते हुए फैलाई गईं कि इस क्षेत्र के अनेक गावों में मात्र छह फीट पर ही पानी मिल जाता है और यहां किसी सामान्य वर्ष में ओडिशा के अनेक अन्य क्षेत्रों से अधिक वर्षा होती है। इतना ही नहीं, एक समय यहां परंपरागत सिंचाई की विभिन्न पद्धतियां इतनी विकसित थीं कि 50 वर्ष पहले तक अनेक गांवों की लगभग 48 प्रतिशत कृषि भूमि की सिंचाई इन परंपरागत जल–स्रोतों से हो जाती थी।

कालाहांडी के बारे में अनेक भ्रांतियां क्यों फैलाई गईं? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि यहां के किसानों, लघु–वन उत्पाद संग्रहण करने वाले आदिवासियों और मजदूरों का शोषण करने वाले स्वार्थी तत्वों की ओर से ध्यान हटाया जा सके। उदाहरण के लिए लघु वन उपज की बिक्री से एक ओर आदिवासियों की आय बहुत कम होती थी और दूसरी ओर सरकार को रॉयल्टी भी बहुत कम मिलती थी। इसका अधिक फायदा मिलता था बिचौलियों को।

कालाहांडी के बारे में अनेक भ्रांतियां क्यों फैलाई गईं? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि यहां के किसानों, लघु–वन उत्पाद संग्रहण करने वाले आदिवासियों और मजदूरों का शोषण करने वाले स्वार्थी तत्वों की ओर से ध्यान हटाया जा सके। उदाहरण के लिए लघु वन उपज की बिक्री से एक ओर आदिवासियों की आय बहुत कम होती थी और दूसरी ओर सरकार को रॉयल्टी भी बहुत कम मिलती थी। इसका अधिक फायदा मिलता था बिचौलियों को।

इस तरह की अनुचित नीतियों और भ्रांतियों को चुनौती दिए बिना बाहरी विशेषज्ञो को बुलाकर कालाहांडी क्षेत्र के विकास की ऐसी योजना तैयार की गई जिसका यहां की वास्तविक समस्याओं से कोई संबंध नही था। कालाहांडी की सबसे बड़ी जरूरत है छोटे किसानो का टिकाऊ विकास, पर इसकी उपेक्षा की गई। इसके स्थान पर बड़े पैमाने पर जमीन बड़ी कम्पनियों को देने की तैयारी की गई जिससे बहुत से किसानों के विस्थापन की आशंका पैदा हो गई।

यदि इस तरह की नीतियों को अपनाया जाता तो स्थिति सुधरने के स्थान

पर पहले से और विकट हो जाती। इन अनुचित नीतियों के बारे में समय पर चेतावनी देने का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश प्रधान ने किया। जगदीश प्रधान सहभागी विकास अभियान के संस्थापक हैं तथा इस अभियान के साथ अनेक जन–संगठन, संस्थान, स्वयं सहायता समूह, खेती व किसानी के गांव स्तर के समूह जुड़े हैं। जगदीश प्रधान ने एक सामयिक चेतावनी देते हुए एक अनुसंधान पत्र लिखा। इसमें और अन्य दस्तावेजों में कालाहांडी के संदर्भ में फैलाई जा रही भ्रांतियों को चुनौती दी गई और छोटे किसानों की टिकाऊ आजीविका पर आधारित नीतियों को कालाहांडी के विकास को आधार बनाने की संस्तुति की गई।

जगदीश प्रधान की इस आवाज को क्षेत्र के लोगों और अनेक जन–पक्षीय अधिकारियों ने भी ध्यान से सुना है क्योंकि इससे पहले वह अनेक वर्षों तक यहां के गांववासियों और किसानों की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहे थे। आपदाओं के समय राहत का कार्य भी उन्होंने गहरी निष्ठा से किया। बाद में वह किसान आयोग के सदस्य भी बनाए गए। उन्होंने और सहभागी विकास अभियान ने खेती–किसानी समस्याओं को नजदीक से समझाकर ऐसे समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया है जो टिकाऊ भी हों और व्यावहारिक भी। उन्होंने पर्यावरण रक्षा और आर्गेनिक खेती का केवल नारा नहीं दिया, बल्कि ऐसे अनेक प्रयोग करके दिखाए है, जिनसे किसानों को बेहतर आय और बेहतर उत्पादकता मिली है।

सहभागी विकास अभियान के कार्यक्षेत्र के गांवों में ऐसे अनेक किसान आपको मिल जाएंगे जिन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता दूर कर अपनी खेती का खर्च बहुत कम कर दिया है तथा दूसरी ओर कंपोस्ट व वर्मीकंपोस्ट, हानिकारक कीड़ों और रोगों को दूर रखने वाले स्थानीय आर्गेनिक छिड़काव, श्री खेती, बेहतर फसल–चक्र, विविधतापूर्ण मिश्रित खेती आदि अपनाकर विभिन्न खाद्य फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को बढ़ा लिया है। एक–दो एकड़ में 20 या उससे अधिक खाद्य फसलें उगाई जा रही हैं जिनमें से अनेक कम समय में तैयार होने वाली सब्जियां हैं। इस तरह अपने लिए पौष्टिक स्वस्थ खाद्य मिलने के साथ–साथ वर्ष भर बाजार में विभिन्न फसलों की बिक्री से नियमित आय भी प्राप्त होती रहती है।

जगदीश प्रधान की इस आवाज को क्षेत्र के लोगों और अनेक जन–पक्षीय अधिकारियों ने भी ध्यान से सुना है क्योंकि इससे पहले वह अनेक वर्षों तक यहां के गांववासियों और किसानों की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहे थे।

इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण से भी आजीविका और आय के अवसर बढ़े हैं। गांव में धान से चावल निकालने की कुटीर स्तर की मिल स्थापित कर, तिलहन से तेल प्राप्त करने के कोल्हू लगा कर आय और रोजगार बढ़ाए गए हैं। साथ ही पशुओं के लिए भूसा और खली की उपलब्धता बढ़ गई है।

पशुपालन और आर्गेनिक खेती एक–दूसरे के पूरक हैं। आर्गेनिक खेती में विभिन्न दुधारू पशुओं के दूध के साथ गोबर, गोमूत्र की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। अतरू सहभागी विकास संस्थान ने अपनी मिश्रित कृषि पद्धति में पशुपालन को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस कारण आय बढ़ रही है और कृषि के खर्च कम हुए हैं।

किसान न केवल हल्दी, धनिया, मिर्च की फसले उगा रहे हैं अपितु 'स्वराज ब्रांड के नाम से इन्हें बेच भी रहे है।' बाजार में इन मसालों और आर्गेनिक खाद्य पदार्थों की अच्छी मांग है। किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है।

इसके साथ–साथ कंपोस्ट खाद और आर्गेनिक खेती से मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ रहा है। कृषि में दीर्घकालीन सफलता की नींव तैयार हो रही है। बहुत–सी पहले बंजर पड़ी भूमि को अब खेती के योग्य बनाया जा रहा है। वहां भी फसल लहलहा रही है।

आदिवासियों की लघु वन उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए सहभागी विकास अभियान ने इस क्षेत्र में चंद व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करने का सफल अभियान चलाया। इस स्रोत से भी बेहतर आय मिलने लगी। आदिवासियों के भूमि अधिकारों का अभियान चलाकर उनके भूमि अधिकार सुनिश्चित किए गए। इस तरह सहभागी विकास अभियान ने टिकाऊ खेती, गांवों व किसानों की आत्म–निर्भरता और पर्यावरण की रक्षा का ऐसा कार्य किया है जो महात्मा गांधी की स्वराज की सोच के अधिक नजदीक है। सिद्धांतों का सम्मान करने के साथ–साथ ये कार्य व्यावहारिक कसौटियों पर खरे उतरे हैं और इस तरह इन प्रयासों से कालाहांडी के बहुत से गांववासियों व किसानों को नई उम्मीद मिली है। इससे जमीन को भी नई उर्वरा शक्ति मिली है और किसानों को भी। अब कालाहांडी का चेहरा तेजी से बदल रहा है। ❑

वर्षा जल सहेजना समय की जरूरत

गांवों में औसतन जितनी वर्षा होती है, यदि उसका महज 14–15 प्रतिशत हिस्सा सहेज लिया जाए तो वहां सिंचाई से लेकर पेयजल तक की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। ऐसे प्रबंध बड़े पैमाने पर हों, तो न अल नीनो का भय सताएगा और न ही सिंचाई और पीने के पानी के संकट से जूझना पड़ेगा।

■ **अभिषेक कुमार**

पिछले सौ साल के आंकड़ों के मुताबिक मौसमी इतिहास में बहुत कम मौके ऐसे रहे जब लगातार दो साल तक अल नीनो सक्रिय रहा हो। पर बीते माह में अल नीनो की सक्रियता को लेकर आई खबरों ने नीति–नियंताओं की सांसें अटका दी हैं। हाल में ऐसी भविष्यवाणियों का सिलसिला मौसम का पूर्वानुमान घोषित करने वाली एक प्राइवेट कंपनी (स्काईमेट) की घोषणा से शुरू हुआ था। इसने कहा था कि इस साल मानसून सीजन की बारिश का दीर्घकालिक औसत (लॉन्ग पीरियड एवरेज) 102 प्रतिशत रह सकता है।

कहने को तो यह पूर्वानुमान अच्छा संकेत माना जाएगा, पर साथ ही इस कंपनी ने यह भी कहा कि इस दौरान मामूली जोखिम अवश्य बना रहेगा। यानी हो सकता है कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कम बारिश हो। असल में, मानसून की वष इस पर भी निर्भर करेगी कि पूर्वी भारत के समुद्री तट ठंडे रहते हैं या गर्म।

गौरतलब है कि पिछले साल मानसून की देसी–विदेशी भविष्यवाणियों को भारतीय मौसम विभाग ने आरंभ में स्वीकार नहीं किया था लेकिन इस बार उसने दो कदम आगे बढ़कर कह दिया कि मानसून सामान्य से कम रहेगा। यानी जून से सितम्बर तक की अवधि में दीर्घकालिक औसत के पैमाने पर 93 प्रतिशत बारिश होगी, जो पिछले साल 88 प्रतिशत रही थी। इस साल भी बारिश में कमी की वजह अल नीनो जैसे कारक की सक्रियता बताई जा रही है।

ऐसा कम ही हुआ है जब दो लगातार वर्षो में अल नीनो ने मानसून पर असर डाला हो, लेकिन इस साल यह आशंका

बन गई है। उल्लेखनीय है कि भारतीय मानसून की चाल बदलने में असरकारक अल नीनो के बारे में पिछले 126 साल (1880–2005) के आंकड़े दर्शाते हैं कि जितनी बार यह दुनिया में सक्रिय हुआ है, उनमें से आधे से कुछ कम मौकों पर इसने हमारे मानसून को प्रभावित किया ही है। 2009 में इसी की वजह से पड़े सूखे से खाद्यान्न मुद्रास्फीति यानी अनाज की महंगाई रिकॉर्ड 20 प्रतिशत तक जा पहुंची थी।

ऐसे में भले ही हमारे अनाज गोदाम भरे पड़े हों, पर रबी की फसल की बर्बादी के बाद खरीफ का भी चौपट हो जाना देश सहन नहीं कर सकता। इस मामले में सबसे ज्यादा दारोमदार पूर्वानुमानों की सटीकता पर टिका है, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर ये अंदाजे उतने सही न निकलें। अत्याधुनिक तकनीक, सुपर कंप्यूटरों और आसमान में तैनात मौसमी उपग्रहों के संजाल के बावजूद मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगा पाना मुमकिन नहीं है। इसी का नतीजा है कि न तो बाढ़, सूखे अथवा उत्तराखंड व जम्मू–कश्मीर जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर कोई विशेष अंकुश लग पाया है और न इस सवाल का माकूल हल खोजा जा सका है कि

आखिर क्यों मौसम अचानक गर्म से सर्द हो जाता है और कैसे चक्रवात पैदा होकर भारी तबाही का कारण बन जाते हैं। मुश्किल यह है कि प्राकृतिक आपदाएं जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में ही नहीं, दुनियाभर में बढ़ रही हैं। कोई भी मौसमी भविष्यवाणी हमेशा कसौटी पर सौ फीसद खरी नहीं उतरती। केदारनाथ से लेकर कश्मीर तक की घटनाओं से साबित हो रहा है कि हम जितना वैज्ञानिक प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रकृति का प्रकोप भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। सच्चाई यही है कि मौसम के रुख में अचानक आने वाले बदलाव मौसम पर नजर रखने वाले तंत्र के लिए अब भी चुनौती बने हुए हैं। लाख कोशिशों के बावजूद हमारा मौसम विभाग बारिश, हिमपात और भूस्खलन की एकदम सटीक जानकारी नहीं दे पाता है।

शायद इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि हम वैज्ञानिक तौर–तरीकों पर इतने अधिक आश्रित हो गए हैं कि मौसम के पूर्वानुमान के सदियों पुराने देसी तरीकों को हमने बिल्कुल भुला दिया है। इस समस्या के दो ऐसे बिन्दु हैं जिन पर कार्य करके मौसम के ज्योतिषी यानी 'वेदर फॉरकॉस्ट' करने वाली एजेंसियां अपनी भविष्यवाणी को दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे, अभी मौसम के पूर्वानुमान के लिए किसी इलाके के 35 वर्ग कि.मी. के दायरे में तापमान और बादलों–हवा की चाल से संबंधित तयों–आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, यदि उसे घटाकर 10 या 20 वर्ग किमी के दायरे में ले आया जाए, तो शायद मौसम की अधिक सटीक जानकारी दी जा सकती है। इसी तरह अभी मौसम विभाग सिर्फ तीन दिन पहले तक का ही पूर्वानुमान पेश कर पाता है, क्योंकि अभी उसके पास केवल 15 डॉपलर रडार देश के विभिन्न इलाकों में मौजूद हैं जो बादल, धूल, नमी और बारिश की ज्यादा सूक्ष्म जानकारियां दे सकते हैं।

फिलहाल एक अच्छी सूचना यह है कि मौसम विभाग और भू–विज्ञान से संबंधित मंत्रालय ने अगले तीन साल के भीतर हिमालयी इलाकों में 95 करोड़ रुपए की लागत से 9 नए डॉपलर रडार, 18 माइक्रो रेन रडार, 7 अपर एयर ऑब्जर्विंग सिस्टम और 230 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि मौसम विभाग देश के किसी भी क्षेत्र, खासतौर से पर्वतीय इलाकों में 5 दिन पहले ही मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने की स्थिति में आ जाएगा।

इन उपायों से हमारा मौसम विभाग भी अमेरिकी और यूरोपीय देशों की तरह मौसम की ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करने के करीब पहुंच जाएगा। ये तब्दीलियां देश को काफी राहत दे सकती हैं क्योंकि आज भी ज्यादातर इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को अपने जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष मौसम की प्रतिकूल स्थितियों से निपटने के लिए करना पड़ता है। एक जरूरी तब्दीली बारिश के बदलते पैटर्न के हिसाब से फसल उत्पादन का चक्र सुधारने और अन्य व्यवस्थाएं बनाने में भी होनी चाहिए।

हम इस सचाई से मुंह नहीं फेर सकते कि अल नीनो जैसी चेतावनियां हमारे देश के लिए इसीलिए समस्या हैं क्योंकि मानसून पर हमारी निर्भरता कम नहीं की जा सकी है। आजादी के साढ़े छह दशक बाद भी हमारे योजनाकारों ने मानसून के पैटर्न में बदलाव की घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया है। यही वजह है कि किसी साल सूखे के बाद भारी वर्षा होने से शुष्क क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, तो किसी साल पूरा मानसून सीजन बारिश की आस में ही बीत जाता है। आज भी हमारे पास इसकी कोई ठोस योजना नहीं है कि देश के किसी एक इलाके में आई बाढ़ से जमा हुए पानी का क्या किया जाए, कैसे उसे उन इलाकों में पहुंचाया जाए जहां उसकी जरूरत है।

विडंबना यह है कि देश में वर्षा आधारित फसलों पर से अपनी निर्भरता कम करने का कोई प्रयास होता नहीं दिखाई दे रहा है। वर्षा के दौरान नदी–नालों में बहकर यूं ही बर्बाद हो जाने वाले पानी के संग्रहण की कोई उचित व्यवस्था देश में अब तक नहीं बन पाई है। यह एक तय है कि असामान्य सूखे की स्थिति में भी राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों को छोड़कर 100 से 200 मिमी बारिश तो होती ही है। खराब मानसून के दौरान पहाड़ों में भी 400–500 मिमी बारिश हो ही जाती है, जो अच्छे मानसून के दौरान बढ़कर 2,000 मिमी के आंकड़े तक पहुंच जाती है। इस तरह वर्षा से मिलने वाले पानी की मात्रा सिंचाई और पेयजल की हमारी कुल जरूरतों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। गांवों में औसतन जितनी वर्षा होती है, यदि उसका महज 14–15 प्रतिशत हिस्सा सहेज लिया जाए तो वहां सिंचाई से लेकर पेयजल तक की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। ऐसे प्रबंध बड़े पैमाने पर हों, तो न अल नीनो का भय सताएगा और न ही सिंचाई और पीने के पानी के संकट से जूझना पड़ेगा। ❑

बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक कचरे का संकट

तकनीक के इस जमाने में हर वह शब्द जिसके साथ ''ई' जुड़ जाता है, प्रगति का पर्याय बन जाता है। इस समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। नित नई तकनीक के साथ अपने आप को जोड़े रखने के जुनून में हम भूल जाते हैं कि पुराने कंप्यूटर का क्या होगा। पुरानी सीडी व दूसरे ई–वेस्ट को कूड़ेदान में डालते वक्त हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि यह कबाड़ हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है।

■ मुकुल श्रीवास्तव

हमारा भारत देश अब इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत ने 2014 में 17 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण कचरे के रूप में निकाले। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

तकनीक के इस जमाने में हर वह शब्द जिसके साथ 'ई' जुड़ जाता है, प्रगति का पर्याय बन जाता है। इस समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। नित नई तकनीक के साथ अपने आप को जोड़े रखने के जुनून में हम भूल जाते हैं कि पुराने कंप्यूटर का क्या होगा। पुरानी सीडी व दूसरे ई–वेस्ट को कूड़ेदान में डालते वक्त हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि यह कबाड़ हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है।

वैसे पहली नजर में ऐसा लगता भी नहीं है। बस, यही है ई–वेस्ट का शांत खतरा। बदलती जीवनशैली और बढ़ते शहरीकरण के चलते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज्यादा प्रयोग होने लगा है, मगर इससे पैदा होने वाले ई–कचरे के दुष्परिणाम से लोग बेखबर है। तकनीक की इस दौड़ में हम कभी इस तय की ओर नहीं सोचते कि जब इन उपकरणों की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, तब इनका क्या किया जाएगा। ई–कचरे के अंतर्गत वे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। ई–कचरा या ई–वेस्ट एक ऐसा शब्द है जो तरक्की के इस प्रतीक के दूसरे पहलू की ओर इशारा करता है। वह पहलू है पर्यावरण का विनाश।

पिछले साल दुनिया में सबसे ज्यादा 1.6 करोड़ टन ई–कचरा एशिया में पैदा हुआ। इनमें चीन में 60 लाख टन, जापान में 22 लाख टन और भारत में 17 लाख टन ई–कचरा पैदा हुआ। वहीं यूरोप में सबसे ज्यादा ई–कचरा करने वाले देशों में नार्वे पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे, आइसलैंड तीसरे, डेनमार्क चौथे और ब्रिटेन पांचवें पायदान पर रहा। वहीं सबसे कम 19 लाख टन ई–कचरा अफ्रीका में पैदा हुआ।

ई–कचरे के अंतर्गत वे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। ई–कचरा या ई–वेस्ट एक ऐसा शब्द है जो तरक्की के इस प्रतीक के दूसरे पहलू की ओर इशारा करता है। वह पहलू है पर्यावरण का विनाश।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में ई–कचरे की मात्रा 21 प्रतिशत तक बढ़कर 5 करोड़ टन पहुंचने की संभावना है। जहां अमेरिका में पिछले पांच सालों में ई–कचरे में 13 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, वहीं चीन में दोगुनी वृद्धि हुई है। आशंका है कि 2017 तक चीन, अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। पिछले साल पैदा हुए ई–कचरे में महज सात फीसद मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, पीसी, प्रिंटर और छोटे आईटी उपकरण रहे, वहीं करीब 60 प्रतिशत हिस्सा घरों और कारोबार में इस्तेमाल होने वाले वैक्यूम क्लीनर, टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक रेजर्स, वीडियो कैमरा, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक स्टोव जैसे उपकरणों का था। ई–कचरे का सबसे अधिक उत्सर्जन विकसित देशों द्वारा किया जाता है जिसमें अमेरिका अव्वल है।

विकसित देशों में पैदा होने वाला अधिकतर ई–कचरा प्रशमन के लिए एशिया और पश्चिमी अफ्रीका के गरीब अथवा अल्प–विकसित देशों में भेज दिया जाता है। यह ई–कचरा इन देशों के लिए भीषण मुसीबत का रूप लेता जा रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख टन ई–कचरा उत्पन्न होता है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा *'ई–वेस्ट इन इंडिया'* के नाम से प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार

भारत में उत्पन्न होने वाले कुल ई–कचरे का लगभग 70 प्रतिशत केवल दस राज्यों और लगभग 60 प्रतिशत कुल 65 शहरों से आता है। ई–कचरे के उत्पादन में मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्य और मुंबई व दिल्ली जैसे महानगर अव्वल हैं।

एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार देश का लगभग 90 प्रतिशत ई–कचरा असंगठित क्षेत्र के अप्रशिक्षित लोगों द्वारा निस्तारित किया जाता है। ये लोग आवश्यक सुरक्षा मानकों से अनभिज्ञ होते हैं। एक खबर के अनुसार इस वक्त देश में लगभग 16 कंपनियां ई–कचरे के प्रशमन के काम में लगी हैं। इनकी कुल निस्तारण क्षमता देश में पैदा होने वाले कुल ई–कचरे के 10 प्रतिशत से भी कम है।

विगत वर्षों में ई–कचरे की मात्रा में लगातार तीव्र वृद्धि हो रही है और प्रतिवर्ष लगभग 20 से 50 मीट्रिक टन ई–कचरा विश्व भर में फेंका जा रहा है। ठोस कचरे में सबसे तेज वृद्धि दर ई–कचरे में ही देखी जा रही है, क्योंकि लोग अब अपने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर आदि को पहले से अधिक जल्दी बदलने लगे हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा हो रही है कंप्यूटर और मोबाइल से, क्योंकि इनका तकनीकी विकास इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि ये बहुत ही कम समय में पुराने हो जाते हैं और इन्हें बदलना पड़ता है।

भविष्य में ई–कचरे की समस्या कितनी विकराल हो सकती है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षो में विकसित देशों में कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों की औसत आयु घट कर मात्र दो साल रह गई है। घटते दामों और बढ़ती क्रय शक्ति के कारण ई–उपकरणों की संख्या और प्रतिस्थापना दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ई–कचरा पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। घरेलू ई–कचरे जैसे अनुपयोगी टीवी और रेफ्रिजरेटर में लगभग एक हजार विषैले पदार्थ होते हैं जो मिट्टी एवं भू–जल को प्रदूषित करते हैं। इन पदार्थों के संपर्क में आने पर सरदर्द, उल्टी, मतली, आंखों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ई–कचरे का पुनर्चक्रण एवं निस्तारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने ई–कचरे के प्रबंधन के लिए विस्तृत नियम बनाए हैं जो 1 मई, 2012 से प्रभाव में आ गए हैं। ई–कचरा (प्रबंधन एवं संचालन नियम) 2011 के अंतर्गत ई–कचरे के पुनर्चक्रण एवं निस्तारण के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन दिशा–निर्देशों का पालन किस सीमा तक किया जा रहा है यह कह पाना कठिन है। जानकारी के अभाव में ई–कचरे के शमन में लगे लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं।

अकेले दिल्ली में ही एशिया का लगभग 85 प्रतिशत ई–कचरा शमन के लिए आता है, परंतु इसके निस्तारण के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव है। आवश्यक जानकारी एवं सुविधाओं के अभाव में ई–कचरे के निस्तारण में लगे लोग न केवल अपने स्वास्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं। ई–कचरे में कई जहरीले और खतरनाक रसायन तथा अन्य पदार्थ जैसे सीसा, कांसा, पारा, कैडमियम आदि शामिल होते हैं जो उचित शमन प्रणाली के अभाव में पर्यावरण के लिए काफी खतरा पैदा करते हैं। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने ई–कचरे के केवल 5 प्रतिशत का ही पुनर्चक्रण कर पाता है। ई–कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी

उत्पादक, उपभोक्ता एवं सरकार की सम्मिलित रूप से होनी चाहिए। उत्पादक की जिम्मेदारी है कि वह कम से कम हानिकारक पदार्थो का प्रयोग करें एवं ई–कचरे के प्रशमन का उचित प्रबंधन करें। उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह ई–कचरे को इधर–उधर न फेंक कर उसे पुनर्चक्रण के लिए उचित संस्था को दें, तथा सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ई–कचरे के प्रबंधन के ठोस और व्यावहारिक नियम बनाए और उनका पालन सुनिश्चित करे। ❑

वास्तु दोषों को दूर करती है - गाय

पुराणों के अनुसार गाय में तैंतीस करोड़ देवी–देवताओं का निवास है। गाय को भी देवता के समान माना गया है। गर्ग संहिता के अनुसार नौ लाख गाय रखने वाले को नन्द, पांच लाख गायों के मालिक को उपनन्द। दस लाख गाय वला 'वृषभानु' एवं एक करोड़ गायों के पालक को 'नन्दराज' कहा जाता था। श्रीकृष्ण का नाम आते ही उनके चारों ओर गाय–बछड़ों एवं गोप–ग्वालों का चित्र हमारे मानस पटल पर आ जाता है।

■ उमेश प्रसाद सिंह

गाय का भारतीय संस्कृति में विशिष्ट स्थान है। यह सदा से भारतीय जन–जीवन की धुरी रही है। प्राचीन काल में हमारे देश में सर्वाधिक सम्पन्नता के स्तर का मापक गाय ही हुआ करती थी। देशी–विदेशी चिकित्सा प्रणालियों में गाय की बड़ी महिमा है। पुराणों के

अनुसार गाय में तैंतीस करोड़ देवी–देवताओं का निवास है। गाय को भी देवता के समान माना गया है। गर्ग संहिता के अनुसार नौ लाख गाय रखने वाले को नन्द, पांच लाख गायों के मालिक को उपनन्द। दस लाख गाय वला 'वृषभानु' एवं एक करोड़ गायों के पालक को 'नन्दराज' कहा जाता था। श्रीकृष्ण का नाम आते ही उनके चारों ओर गाय–बछड़ों एवं गोप–ग्वालों का चित्र हमारे मानस पटल पर आ जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार गायों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :–

● गोदुग्ध पीने से हमें सतत शक्ति एवं स्फूर्ति मिलती है। गोमूत्र सेवन से शरीर रोगमुक्त होता है।

● जिस स्थान पर भवन या घर का निर्माण करना हो तो यदि वहां बछड़े वाली गाय को बांधा जाए तो वहां वस्तु दोषों का निवारण हो जाता है। कार्य निर्विघ्न पूरा होता है और समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आती।

● ज्योतिष में गोधूली का समय विवाह के लिए सर्वोतम माना गया है। जब गायें जंगल से चरकर वापस घर आती है उस समय को गोधूली वेला कहते हैं।

● यात्रा के समय गाय सामने पड़ जाए तो यात्रा सफल होती है।

● किसी भी जन्मपत्री में सूर्य नीच राशि तुला पर हो या अशुभ स्थिति में हो अथवा केतु द्वारा परेशानियां आ रही हो तो गाय की पूजा करनी चाहिए, दोष समाप्त होंगे।

● विष्णु पुराण में कहा गया है जब श्रीकृष्ण पूतना के दुग्धपान से डर गये तो नन्द दम्पनी ने गाय की पूंछ घुमाकर उनकी नजर उतारी और भय का निवारण किया।

● संतान लाभ के लिए गाय की सेवा को अच्छा उपाय कहा गया है। शिवपुराण के अनुसार गाय की सेवा करने वालों को यम का भय नहीं रहता।

● आयुर्वेद में गाय के घी को आयु कहा गया है। गाय का घी सेवन करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है।

● गोमूत्र में कार्बोलिक एसिड होता है जो कीटनाशक है और शुद्धता बढ़ाता है। इसमें स्वर्णक्षर मौजूद रहता है जो अति उपयोगी रसायन है।

● गाय भारतीय कृषि का आधार है। बिगड़ी भूमि को सुधारने एवं उर्वराशक्ति को बढ़ाने के लिए गोबर का उपयोग हजारों वर्षों से खेती के लिए किया जा रहा है।

● गोमूत्र में सोलह प्रकार के खनिज तत्व होते हैं जो शरीर के रक्षण, पोषण

और विकास में सहायक हैं। इसके समुचित सेवन से रोग–रोधक शक्ति बढ़ती है। शरीर शक्तिशाली एवं चेतनायुक्त होता है।

● गाय के सींगों का बनावट पिरामिड जैसा होता है। वह एक शक्तिशाली एंटीना के रूप में कार्य करती है। सींगों की मदद से गाय आकाशीय ऊर्जाओं को शरीर में संचित कर लेती है। वही ऊर्जा हमें गोमूत्र, दूध और गोबर द्वारा मिलता है।

● गाय के दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ भैंस के दूध से दस गुना अधिक होता है। भैंस का दूध गर्म करने पर उसके सर्वाधिक पोषक तत्व मर जाते हैं जबकि गाय का दूध गर्म करने पर भी वैसे ही पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं।

● देशी गाय पूर्णतय शाकाहारी पशु है जबकि जरसी गाय मांसाहारी जंगली पशु है। जरसी गाय के भोजन में मांस का टुकड़ा मिला दिया जाए तो बड़े चाव से खा जाती है।

● धार्मिक मान्यता के अनुसार भारतीय गोवंश का उद्‌गम जंगल से नहीं बल्कि समुद्र मंथन से प्राप्त गोमाताओं से है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय गोवंश का मूल स्रोत 'औरक्तस' नामक पशु है जिसने 18 लाख वर्ष पूर्व भारत में जन्म लिया था।

● क्रासबीडिंग करना अथवा विदेशी गायों की ओर देखना छोड़कर हमें अपनी भारतीय नस्ल की गायों को उचित महत्व देना चाहिए।

● गौमाता की कृपा से गोभक्तों का आगामी वंश भी संस्कारवान होता है। गोसेवा करने वाला निश्चिंत रहता है। किसी ने ठीक लिखा है –

जा घर होय तुलसी अरू गाय।
ता घर वैद्य कबहुं नहीं जाए।। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

भूकम्प से बचाने वाले बनें शहर

बेशक देश में स्मार्ट शहर विकसित हों लेकिन शहरी विकास–नियोजन में भूकम्प रोधी उपेक्षित सावधानियां अनिवार्यतः बरती जानी चाहिए। सरकार ऐसी नीतियां अमल में लाएं, जिससे गांव और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार, आवास, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, बिजली, संचार और परिवहन सुविधाएं हासिल हों। ऐसा होगा तो गांवों से पलायन नहीं होगा और शहर आबादी के अतिरिक्त बोझ से बचे रहेंगे। नतीजतन सौ स्मार्ट शहरों की जरूरत ही नहीं रहेगी।

■ **प्रमोद भार्गव**

केन्द्र सरकार ने सौ स्मार्ट शहर बसाने का फैसला उस समय लिया है, जब नेपाल समेत भारत भूकम्प खतरा झेल रहा है। आधुनिक सुख–सुविधाओं से लैस महानगर के बगल में नया उपनगर बसाना अहम हो सकता है, लेकिन सौ शहरों में ज्यादातर वे हैं,जो भूकम्प की उस बुनियाद पर खड़े हैं जिसके नीचे 57 फीसद हिस्से में विनाशकारी ऊर्जा अंगड़ाई ले रही है। बावजूद हमारे यहां व्यापक पैमाने पर भूकंप–रोधी भवनों का निर्माण नहीं हो रहा है। यह लापरवाही सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर है। ऐसे में शोचनीय पहलू यह है कि भूकम्प से होने वाली त्रासदी में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वह पक्के व बहुमंजिला भवनों के ढहने से ही होता है।

हम बखूबी जानते हैं कि भारत और नेपाल एक जैसे मानसिक धरातल के देश हैं। इसलिए किसी कुदरती आपदा की त्रासदी दोनों जगह कमोबेश एक जैसी होती है। हमने भी भूकम्प रोधी भवन निर्माण और नगर विकास योजनाएं विकसित नहीं की हैं और नेपाल भी तथाकथित आधुनिक विकास की इसी बदहाली में जी रहा है। नतीजतन भूकम्प आने पर सबसे ज्यादा जन–धन हानि भवनों के ढहने से हुई है। वैसे अपने यहां हम लातूर, कच्छ उत्तरकाशी व चमोली का भूकम्प झेल चुके हैं। बावजूद कोई सबक लेने की बजाय कथित शहरी विकास का पहलू जस का तस बना है।

ऐसे विडंबनापूर्ण हालत में स्मार्ट शहरों की नींव रखने से पहले भूकम्प रोधी मानकों का कड़ाई से पालन करने के साथ धरती के डोलने के समय एहतियात के लिए क्या कदम उठाएं जाए, इस हेतु पर्याप्त जागरूकता की जरूरत है। मोदी सरकार ने पहले आम बजट में सौ स्मार्ट सिटी बसाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी की यह महत्वाकांक्षी योजना भाजपा के दृष्टि–पत्र में भी शामिल थी। भाजपा ने अपने चुनावी वादे पर अमल का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया है। 2008 में महानगरीय आबादी से संबंधित एक रिपोर्ट के मुताबिक 34 करोड़ लोग शहरों में निवास करते हैं। अनुमान है कि 2030 तक यह आंकड़ा 59 करोड़ और 2050 में 81 करोड़ हो जाएगा। ऐसे में किसी भी सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह शहरों को भविष्य की संभावनाओं के साथ आधुनिक व सुविधा संपन्न बनाए। इस नाते स्मार्ट सिटी मिशन और अटल शहरी रूपांतरण एवं पुनरुद्धार मिशन के तहत शहरों के कायाकल्प के लिए पांच वर्षो में एक लाख करोड़ रपए खर्च करने का जो निर्णय लिया है, वह उचित है क्योंकि इसमें अधोसंरचना, साफ पानी, साफ–सफाई, कचरा प्रबंधन,

यातायात और भीड़ को नियंत्रण करने जैसे बेहद अहम मुद्दे शामिल हैं।

स्मार्ट शहरों में कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर छोटे घर दिए जाने का भी प्रावधान है। इस परियोजना को मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन का भी अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ये शहर वाई–फाई जैसी संचार तकनीक से भी जोड़े जाएंगे। लेकिन इस पूरी परियोजना में भूकम्प रोधी निर्माण की अनिवार्यता का कहीं जिक्र नहीं है? जबकि दिल्ली, मुबंई, कोलकाता, अहमदाबाद, पटना समेत 38 महानगर जो स्मार्ट परियोजना में शामिल हैं, भूकंप प्रभावित खतरनाक क्षेत्रों में आते हैं।

गौरतलब है कि तमाम वैज्ञानिक प्रगाति के बावजूद भूकम्प की भविष्यवाणी दो मिनट पहले करना भी संभव नहीं है। भूकम्प संबंधी विश्वव्यापी शोध भूगर्भीय खुलासे और धरती की आंतरिक हलचल बयान करने में सक्षम हो गए हैं। भूकम्पीय तरंगों से प्रभावित क्षेत्र भी वैज्ञानिकों ने चिह्नित कर दिए हैं लेकिन ये किस क्षेत्र, किस समय और किस तीव्रता से धरती पर विभीषिका रचेंगे, इसका पूर्व खुलासा संभव नहीं हुआ है। लिहाजा भारत पहले जापान की तर्ज पर भूकम्प से निरपेक्ष रहने वाली तकनीक हासिल करे और फिर इस योजना को आगे बढ़ाए?

हमारे यहां सबसे आधुनिक व स्मार्ट निर्माण दिल्ली मेट्रो है। इसमें करीब 23 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं। बावजूद विश्वस्तरीय भवन निर्माण और पथ संचालन के मानकों से जुड़ी यह रेल सरंचना 7.5 तीव्रता वाले भूकम्प का सामना करने में अक्षम है। संयुक्त राष्ट्र की आपदा के खतरे कम करने संबंधी ग्लोबल एसेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भी दिल्ली मेट्रो भूकम्प व बाढ़ के हिसाब से सुरक्षित नहीं है। मेट्रो में इंसानी त्रासदी इसलिए ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यह एक साथ सुरंग, उपरिमागी पथ से गुजरती है। रिपोर्ट में जब दिल्ली मेट्रो निर्माण भूकम्प की कसौटी पर खरा नहीं है तो कैसे उम्मीद की जाए कि पहले से ही आबादी का संकट झेल रहे शहरों का विस्तार भूकम्परोधी अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से संपन्न होगा?

गौरतलब है कि तमाम वैज्ञानिक प्रगाति के बावजूद भूकम्प की भविष्यवाणी दो मिनट पहले करना भी संभव नहीं है। भूकम्प संबंधी विश्वव्यापी शोध भूगर्भीय खुलासे और धरती की आंतरिक हलचल बयान करने में सक्षम हो गए हैं। भूकम्पीय तरंगों से प्रभावित क्षेत्र भी वैज्ञानिकों ने चिह्नित कर दिए हैं लेकिन ये किस क्षेत्र, किस समय और किस तीव्रता से धरती पर विभीषिका रचेंगे, इसका पूर्व खुलासा संभव नहीं हुआ है।

दरअसल जापान ने अपने देश में भूकम्प रोधी भवन निर्माण और जीवन शैली विकसित करके साबित कर दिया है कि भूकम्प के बावजूद त्रासदी कम भी की जा सकती है और उससे बचा भी जा सकता है। जापान में आए दिन भूकम्प आते हैं और लोग बिना जन–धन हानि के बच जाते हैं। नेपाल में रिक्टर पैमाने के हिसाब 7.9 तीव्रता का भूकम्प आया और 6000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। जबकि 2011 में फुकुशिमा में 8.5 तीव्रता के भूकम्प में कुछ ही लोग हताहत हुए।

हम बखूबी जानते हैं कि भारत और नेपाल एक जैसे मानसिक धरातल के देश हैं। इसलिए किसी कुदरती आपदा की त्रासदी दोनों जगह कमोबेश एक जैसी होती है। हमने भी भूकम्प रोधी भवन निर्माण और नगर विकास योजनाएं विकसित नहीं की हैं और नेपाल भी तथाकथित आधुनिक विकास की इसी बदहाली में जी रहा है। नतीजतन भूकम्प आने पर सबसे ज्यादा जन–धन हानि भवनों के ढहने से हुई है। वैसे अपने यहां हम लातूर, कच्छ उत्तरकाशी व चमोली का भूकम्प झेल चुके हैं। बावजूद कोई सबक लेने की बजाय कथित शहरी विकास का पहलू जस का तस बना है।

भारतीय उपमहाद्वीप का आधा हिस्सा भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है और यही वह क्षेत्र है, जहां धनी और बेतरतीब आबादी निवासरत है। लिहाजा भवन निर्माण की भूकम्प रोधी तकनीक अपनाने के साथ भूकम्प के सिलसिले में व्यापक जन–जगरूकता भी जरूरी है। अक्सर भूकम्प की आहट के बावजूद ज्यादातर लोग घरों में से बाहर नहीं निकलते हैं। इस लिहाज से रिहायशी बहुमंजिला में जनहानि कितनी विकट होगी अंदाजा लगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

बेशक देश में स्मार्ट शहर विकसित हों लेकिन शहरी विकास–नियोजन में भूकम्प रोधी उपेक्षित सावधानियां अनिवार्यतः बरती जानी चाहिए। सरकार ऐसी नीतियां अमल में लाएं, जिससे गांव और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार, आवास, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, बिजली, संचार और परिवहन सुविधाएं हासिल हों। ऐसा होगा तो गांवों से पलायन नहीं होगा और शहर आबादी के अतिरिक्त बोझ से बचे रहेंगे। नतीजतन सौ स्मार्ट शहरों की जरूरत ही नहीं रहेगी। ❑

लेख

बुद्ध और उनका संदेश

हमारे युग की दो प्रमुख विशेषताएं विज्ञान और लोकतंत्र है। ये दोनों टिकाऊ हैं। हम शिक्षित लोगों को यह नहीं कह सकते कि वे तार्किक प्रमाण के बिना धर्म की मान्यताओं को स्वीकार कर लें जो कुछ भी हमें मानने के लिए कहा जाय उसे उचित और तर्क के बल से पुष्ट होना चाहिए। अन्यथा हमारे धार्मिक विश्वास इच्छापूरक विचार मात्र रह जायेंगे। आधुनिक मानव को एक ऐसे धर्म के अनुसार जीवन बिताने की शिक्षा देनी चाहिए।

■ निरंकार सिंह

बुद्ध कई शताब्दियों तक विश्व के मानचित्र पर चमकते रहे हैं। बौद्ध धर्म, दर्शन साहित्य और कला ने मानव जाति की एक बहुत बड़ी आबादी को सभ्य बनाया। बुद्ध का संदेश चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत और इंडोनेशिया तक फैला। गुप्तकाल में तो यह धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था। किन्तु आज ईसाई और इस्लाम का इन देशों में वर्चस्व है। ईसाई और इस्लाम के बाद दुनिया का आज भी यह तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। यह कम अचरज की बात नहीं है कि नैतिकता का यह स्रोत, जो कि आज से लगभग 2600 वर्ष पहले प्रकट हुआ, आज भी अपनी पवित्रता और ताजगी को पूर्ववत रखे हुए है।

आज भी बुद्ध को सबसे अच्छा उपदेशक और सदा से त्रस्त मानव जाति को मधुर शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। सम्राट अशोक के समय तो पूरे भारत और लंका में बौद्ध धर्म का ही दबदबा था। किन्तु ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद सनातन धर्म का फिर भारत में प्रभाव बढ़ गया। लेकिन महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस अहिंसा, शांति और भेदभाव को दूर करने का जो संदेश दिया था, उसकी प्रेरणा उन्हें गौतम बुद्ध से ही मिली थी। अम्बेडकर तो बौद्ध धर्म के ही अनुयायी बने।

बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसी दिन उन्हें बोध (निर्वाण) प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने अपने

शरीर का त्याग किया। आज के नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म, बिहार (भारत) के बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया। कुशीनगर में उन्होंने अपनी देह को भी त्याग दिया। इसलिए ये चारों स्थल आज बौद्ध तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं।

हिन्दुओं ने बुद्ध को नवां अवतार बताया है। उन्हें गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, तथागत और बोधिसत्व भी कहा जाता है। उनका संदेश ज्ञान, करूणा और प्रेम से परिपूर्ण है। उनका जीवन दर्शन और उनके नैतिक उपदेश विज्ञान के प्रेमी आधुनिक विचारको को भी बहुत तर्कसंगत लगते हैं। बुद्ध ने हमें अपना अन्धानुकरण करने की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा है कि परीक्षा करके हम उनके उपदेशों को ग्रहण करें। हमें किसी वाह्य आलम्बन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बल्कि स्वयं अपनी आत्मा को अपना आलम्बन बनाना चाहिए। शाश्वत धर्म की शरण में जाना चाहिए।

बुद्ध ने कहा है कि 'मैं तुमसे विदा होता हूँ, अपनी आत्मा को शरण बनाकर प्रणाम करता हूँ' (दिघ निकाय, 2.120)। हमारे अन्दर आत्मा की जो आवाज उठती है, उसकी मांग पूरी होनी चाहिए। बुद्ध केवल रास्ता बताते हैं, उस पर चलने का कष्ट उठाना हरेक की अपनी जिम्मेदारी है। (धम्मपद 276)। बुद्ध का गौरव उनके व्यक्तिगत अनुभव पर प्रतिष्ठित है।

प्रचलित कथा के अनुसार, जब बुद्ध ने एक निर्बल वृद्ध को, एक मृतक पुरूष को, एक बीमार को और एक भिक्षु को देखा तब उन्हें दन्य और दुःख का रोग, एवं जरा और मृत्यु का ज्ञान हुआ। इससे उन्हें जो आघात पहुँचा उसके फलस्वरूप उन्होंने सारे वैभव और विलास को त्यागकर संन्यासी का जीवन ग्रहण किया। दुनिया का दुख देखकर बुद्ध के मन में करूणा उपजी। संसार के मूल में उन्होंने जिस दुःख के दर्शन किये वह उनके लिए

एक समस्या बन गया। उन्होंने समकालीन दर्शनों का अध्ययन किया, उस युग के बड़े–बड़े आचार्यो से परामर्श किया और कठोर तपस्या और चिन्तन करके तत्व की खोज की। बुद्ध वह है, जिसका नाम सत्य है (सच्चनाम), जो सत् है, वही सत्य है, जो नश्वर है, वही असत् है। जिसके पास देखने के लिए आंख और समझने के लिए बुद्धि है, उसके लिए यह दुनिया, जिसमें हम रहते हैं, जन्म और मरण की, विकास और ह्रास की दुनिया है, जिसमें कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती और न किसी चीज की कभी आवृत्ति ही होती है। इस दुनिया में भी कुछ भी स्थायी नहीं है। मरणान्तं हि जीवनम्। बौद्ध साहित्य में क्षणभंगुरता, परिवर्तनशीलता का कथन भिन्न–भिन्न प्रकार से किया गया है। घूमते हुए चक्र को इस परिवर्तनशील संसार या सत्ता का प्रतीक माना गया है।

बुद्ध के अनुसार यह दृश्य जगत्, ये उत्पत्ति विनाशशील वस्तुएं, यह कार्य कारणमय संसार कर्म के नियम से शासित है, और निर्वाण उस दुनिया की चीज है जहां स्वांतंत्रय है, जहां वस्तुओं से परे केवल आत्मा का आधिपत्य है, जो सत्ता का केन्द्र है। आदमी के अन्दर वह शक्ति और संकल्प है, जो उसे संसार से उठाकर सत्य पर प्रतिष्ठित करता है। यदि आदमी अपने अस्तित्व की सीमाओं को तोड़ने में असफल रहता है तो वह मृत्यु का ग्रास बनता है, विनाश को प्राप्त होता है। उसे पहले शून्य का अनुभव करना है, तभी वह उसके परे जा सकता है। इस वस्तुमय जगत से परे पहुॅचने के लिए आदमी को विनाश की वेदना का अनुभव होना आवश्यक है। उसके अन्दर इस भावना का उदय होना आवश्यक है कि यह सारा दृश्य जगत जो कि परिवर्तन और मृत्यु के नियम के अधीन है, नितान्त शून्य है।

बुद्ध ने निर्वाण का और उसके लिए प्रयत्न करते रहने का उपदेश देकर एक दूसरी दुनिया के अस्तित्व में आस्था प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि काल प्रवाह से ऊपर उठना और बुद्धत्व प्राप्त करना मनुष्य के लिए सम्भव है। विशुद्ध सत्ता काल चक्र से ऊपर है। इसी पर संसार प्रतिष्ठित है, संसार निर्वाण में है। नित्यता काल में केन्द्रित है। तत्वमसि। हरेक के अन्दर एक ऐसी गुप्त शक्ति का निवास है जो उसे कालप्रवाह से मुक्त कर सकती है, जो हमारी अन्तरात्मा को वाह्य वस्तुओं के बंधन से हटा सकती है। जिससे हम अपने अंदर रहने वाले अमृत को खोज सकते हैं। उस क्षण में हमारे काल का विनाश हो जाता है, फिर हम काल के बन्धन में नहीं रहते, बल्कि जो कालातीत है वह हमारे अन्दर आ जाता है। काल के अन्दर कालातीत का यह अनुभव ही निर्वाण है। सभी धर्मो ने इसी अन्तिम और मूल रहस्य की खोज की है और अपरिपक्व भाषा तथा अधूरे प्रतीकों एवं कल्पनाओं के द्वारा इसी को व्यक्त करने की कोशिश की है। बुद्ध ने व्यक्ति की आत्मा को अत्यधिक महत्व दिया है। मानवीय आत्मा का मूल्य ही सारी सभ्यता का आधार है और वही इस दुख से पीड़ित और युद्ध की विभीषिका से त्रस्त संसार की आशा है। इसीलिए वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अपना संदेश फैलाते हैं।

हमारे युग की दो प्रमुख विशेषताएं विज्ञान और लोकतंत्र है। ये दोनों टिकाऊ हैं। हम शिक्षित लोगों को यह नहीं कह सकते कि वे तार्किक प्रमाण के बिना धर्म की मान्यताओं को स्वीकार कर लें जो कुछ भी हमें मानने के लिए कहा जाय उसे उचित और तर्क के बल से पुष्ट होना चाहिए। अन्यथा हमारे धार्मिक विश्वास इच्छापूरक विचार मात्र रह जायेंगे। आधुनिक मानव को एक ऐसे धर्म के अनुसार जीवन बिताने की शिक्षा देनी चाहिए जो उसकी विवेक बुद्धि को जंचे, विज्ञान की परम्परा के अनुकूल हो। इसके अतिरिक्त धर्म को लोकतंत्र का, जो कि वर्ण, विश्वास, संप्रदाय या जाति का विचार न करते हुए प्रत्येक मनुष्य के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के ऊपर जोर देता है, पोषक होना चाहिए। कोई भी ऐसा धर्म जो मनुष्य–मनुष्य में भेद करता है अथवा विशेषाधिकार, शोषण, युद्ध का समर्थन करता है, आज के वैज्ञानिक युग में टिक नहीं सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म इन सभी कसौटियों पर खरा उतरता है।

बुद्ध ने हमें प्रज्ञा और करूणा का उपदेश दिया। हमारी परख उन मतों है जिनका हम अनुसरण करते हैं या उन नामों से जिन्हें हम धारण करते हैं या उन नारों से जिन्हें हम चिल्ला–चिल्ला कर कहते हैं, नहीं होगी, बल्कि हमारे परोपकार के कामों से और भातृभावना से होगी। आदमी की कमजोरी यह है कि जरा, रोग और मृत्यु के अधीन होते हुए भी अज्ञात और अभिमान के कारण रोगी, वृद्ध और मृतक का उपहास करता है। यदि कोई अपने रोगी, वृद्ध या मृतक भाई को घृणा की दृष्टि से देखता है, तो वह स्वयं अपने साथ अन्याय करता है। हमें उस आदमी की नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए जो लंगड़ाकर चलता है या रास्ते पर गिर पड़ता है, क्योंकि हम उसके दुःखों को नहीं जानते या उसके बोझ का अंदाजा नहीं रखते। अगर हम जान लें कि दुःख क्या होता है, तो हम सभी दुःखियों के भाई बन जायें। ❑

स्वच्छता अभियान में परिवार की भूमिका

'स्वच्छ, प्राकृतिक वातावरण का विकास जीवन स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़ा सकता है। इस अभियान का लाभ भारत के गांव, नगर, प्रकृति के साथ–साथ समाज के समस्त वर्गों का होगा। जब यह सभी के लिए है तो यह कर्तव्य हर नागरिक को निभाना है। 'स्वच्छता' से संपूर्ण भारत और मानव जीवन सज–संवर जाएगा।

■ डॉ. अनामिका पांडे

स्वच्छता का मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वच्छता के अभाव में गंभीर पर्यावरणीय समस्याऐं उत्पन्न हो रही हैं । स्वच्छता अभियान की पहल बहुत अच्छी है, मानव जीवन और पर्यावरण के लिए यह आवश्यक भी है । इसका विस्तार वैश्विक स्तर पर किया जाना चाहिए । स्वच्छता एक अपरिहार्य घटक है जिसके लिए एक अच्छे नागरिक को कर्तव्यबोध होना ही चाहिए। किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में स्वच्छता का लक्ष्य उसके विकास एवं संवृद्धि के भविष्य को प्रभावित करने में सक्षम है।

सामाजिक संरचना में हुए अनेकों परिवर्तनों के उपरांत अब सामाजिक उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों की भी नवीन परिभाषा देना आवश्यक हो गया है । यह सामाजिक व्यवस्था के संतुलन के लिए जरूरी भी है। 'स्वच्छता' को हमें उत्तरदायित्व की श्रेणी में लेकर सामाजिक मानसिकता को इसके अनुरूप ढालना होगा।

मानव समाज में परिवार की भूमिका एक सार्वभौतिक संस्था एवं मौलिक इकाई के रूप में है। यह समस्त सामाजिक संरचनाओं का आधार है। चार्ल्स कूले परिवार को ऐसा प्राथमिक समूह मानते हैं जिसमें बच्चों के सामाजिक जीवन एवं आदर्शों का निर्माण होता है।

भारतीय संस्कृति में ***'वसुधैव कुटुम्बकम'*** कहकर परिवार का असीम विस्तार कर सम्पूर्ण पृथ्वी को ही परिवार का अंग स्वीकार किया जाता है तो 'स्वच्छता' को हम स्वयं और अपने घर–आंगन से बाहर आकर अपने गाँव, नगर या राष्ट्र तक विस्तृत क्यों नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसी सोच विकसित करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को ही पोषित कर रहे हैं।

स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है 'कचरा' । अनेक राष्ट्र कचरे की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उच्च जीवन शैली ने कचरे में तीव्रता से वृद्धि की है। नगरीय निकायों द्वारा 188,500 टन कचरा प्रतिदिन एकत्रित किया जाना है। भारत के 300 से अधिक

स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है 'कचरा' । अनेक राष्ट्र कचरे की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उच्च जीवन शैली ने कचरे में तीव्रता से वृद्धि की है। नगरीय निकायों द्वारा 188,500 टन कचरा प्रतिदिन एकत्रित किया जाना है। भारत के 300 से अधिक नगरों की लगभग 70 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या में पाया गया कि प्रतिदिन सर्वाधिक कचरा 12060 टन कोलकाता में होता है जो .66 किलो प्रति व्यक्ति है।

नगरों की लगभग 70 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या में पाया गया कि प्रतिदिन सर्वाधिक कचरा 12060 टन कोलकाता में होता है जो .66 किलो प्रति व्यक्ति है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कचरा 1.23 किलो त्रिचनापल्ली में एवं .87 किलो पोर्ट ब्लेयर में निकलता है। सबसे कम कोहिमा में .19 किलो एवं झुंझुनू में .21 किलो प्रति व्यक्ति है। मध्यप्रदेश के संदर्भ में भोपाल में .46 किलो एवं इंदौर में .43 किलो प्रति व्यक्ति है जो औसत .50 किलो प्रति व्यक्ति के लगभग बराबर ही है।

यदि समाज में परिवार के द्वारा पहल कर इसको कम करने का प्रयास करेगा तो इस समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। परिवार को निम्न कार्यों की पहल करना चाहिए –

- सामाजिक उत्सवों, त्यौहारों, वैवाहिक समारोह में डिस्पोजेबल सामान का उपयोग कम से कम करें ।
- नकली और घटिया सामाज की खरीदारी न करके मजबूत सामान क्रय करें। जिससे बार–बार बदलना नहीं पड़ेगा।
- प्लास्टिक बैग में सामान न लाकर स्वयं के कपड़े के थैले में सामान खरीद कर लायें ।
- इलेक्ट्रानिक सामान की मरम्मत करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- यात्रा के दौरान कचरा ट्रेन, बस या वाहन से बाहर न फेंके। इससे प्राकृतिक स्वच्छता में सहयोग मिलेगा।

मध्यप्रदेश के इटारसी नगर में परिवार के अन्तःक्रियात्मक पक्ष के संबंध में किए गए सामाजिक अध्ययन में घरेलू कार्य

अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है। परिवार ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाता है। 'स्वच्छता' के प्रति परिवार के हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, जिससे उनका स्वविवेक जागृह होगा और वे स्वयं स्वच्छता को पसंद करने लगेंगे।

सम्पादन में महिलाओं की अभिरूचि की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि 24.43 प्रतिशत महिलाएं घर की सफाई करना पसंद करती हैं, जो कि तीसरे स्थान पर है । घरेलू कार्यों में 39 प्रतिशत खाना बनाना और 24.9 प्रतिशत बच्चों की देखभाल करना पसंद करती हैं। 7.3 प्रतिशत को बाजार से सामान लाना पसंद है। शेष अन्य कार्य पसंद करती है।

घरेलू कार्यों की प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी एक पत्नी की मानी जाती है । भारतीय पारिवारिक ढांचा ही ऐसा है कि घरेलू कार्यों में हस्तक्षेप करने से पति वर्ग को संकोच होता है, किन्तु अब सामाजिक जागरूकता एवं लोक व्यवहारों में होने वाले बदलाव से पति शासक के स्थान पर सहयोगी भी होने लगे हैं । अध्ययन में ज्ञात होता है कि 58.33 प्रतिशत पति गृहकार्यों में सहयोग देते हैं, शेष 41.67 प्रतिशत नहीं देते हैं । पति की भूमिका में आया यह परिवर्तन स्वच्छता अभियान के प्रसार में सहयोगी सिद्ध होगा।

भारतीय संस्कृति में *'वसुधैव कुटुम्बकम'* कहकर परिवार का असीम विस्तार कर सम्पूर्ण पृथ्वी को ही परिवार का अंग स्वीकार किया जाता है तो 'स्वच्छता' को हम स्वयं और अपने घर–आंगन से बाहर आकर अपने गाँव, नगर या राष्ट्र तक विस्तृत क्यों नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसी सोच विकसित करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को ही पोषित कर रहे हैं।

प्रतिसद्ध विद्वान अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है। परिवार ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाता है । 'स्वच्छता' के प्रति परिवार के हर व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, जिससे उनका स्वविवेक जागृह होगा और वे स्वयं स्वच्छता को पसंद करने लगेंगे । स्वच्छता विस्तार हेतु सुझाव –

- टी.वी. चैनलों पर स्वच्छता की स्लाइडें, विज्ञापनों जैसे प्रभावशाली तरीके से दिखाई जाना चाहिए।
- बच्चों में बचपन से ही स्वच्छता के विस्तृत दृष्टिकोण को विकसित किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा से ही स्वच्छ प्रकृति प्रेम उत्पन्न किया जाना चाहिए।
- गंदगी के परिणामों की जानकारी देकर जन–जन को भविष्य के संकटों से परिचित कराना चाहिए।
- स्थानीय निकायों को स्वच्छ वार्ड, स्वच्छ मोहल्ला/कॉलोनी, या स्वच्छगी जैसे पुरस्कारों को घोषित करना चाहिए।

'स्वच्छ, प्राकृतिक वातावरण का विकास जीवन स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़ा सकता है। इस अभियान का लाभ भारत के गांव, नगर, प्रकृति के साथ–साथ समाज के समस्त वर्गों का होगा। जब यह सभी के लिए है तो यह कर्तव्य हर नागरिक को निभाना है। 'स्वच्छता' से संपूर्ण भारत और मानव जीवन सज–संवर जाएगा। ❑

आर्थिक मौका का उठाना होगा फायदा

निःसंदेह निर्यात के मोर्चे पर चीन की चुनौती सामने खड़ी है। यद्यपि कुछ विदेश व्यापार विशेषज्ञ यह मान रहे थे कि विकास दर घटने, मंदी और बढ़ी हुई श्रम लागत के कारण वर्ष 2014–15 में चीन के निर्यात मूल्य में कमी आएगी और उसका लाभ भारत को निर्यात बढ़ाने में मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन का निर्यात वर्ष 2013–14 में 2340 अरब डॉलर था। यह अनुमानित है कि 2014–15 में चीन का निर्यात तेजी से नहीं बढ़ा, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक ही हुआ है।

■ **जयंतीलाल भंडारी**

हाल में जर्मनी स्थित नियंत्रण सलाहकार व शोध कंपनी डेल्फी ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने और निर्यात के मौकों को मुट्ठी में करने की दृष्टि से भारत बेहद अनुकूल स्थिति में है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी और चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की हालत में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की नई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इसी तरह आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टीना लेगार्ड का कहना है कि विश्व अर्थव्यवस्था में इस समय फैली नरमी की धुंध के बीच भारत रोशनी की किरण है। कई देश जहां निम्न विकास दर से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत के स्तर को छू सकती है।

यह भी कहा गया है कि इस साल भारत की वृद्धि दर चीन से आगे निकल सकती है और 2019 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 2009 की तुलना में दोगुनी हो सकती है। एक बात जो इस दौर में भारत को आकर्षक बनाए हुए है वह है उभरते बाजारों में बड़े निवेश योग्य विकल्पों की कमी के बीच भारत की अधिक आर्थिक अनुकूलता।

आईएमएफ और विश्व बैंक की वाशिंगटन में आयोजित मीटिंग में शिरकत करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने नई सरकार की नीतियों के कारोबारियों के अनुकूल होने की बात मजबूती से कही। उससे विदेशी निवेशकों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ने की संभावना बढ़ी है।

नए आंकड़े बता रहे हैं कि देश में एफडीआई का प्रवाह जनवरी 2015 में जनवरी 2014 की तुलना में दोगुना होकर 4.48 अरब डॉलर रहा। यह पिछले 29 माह का सबसे अधिक आंकड़ा है। अब निर्यात के मौकों का लाभ उठाने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015–20 के लिए बहुप्रतीक्षित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की घोषणा की गई है। इस नीति के तहत 2020 तक नियंत्रण निर्यात में भारत का हिस्सा दो प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत पर पहुंचाने तथा वर्ष 2019–20 में देश का निर्यात करीब 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात में हर साल 14 फीसद बढ़त हासिल करने की कोशिश की जाएगी। यद्यपि नई विदेश व्यापार नीति के तहत भारत से वस्तु और सेवा निर्यात बढ़ाने की योजनाओं के साथ–साथ निर्यात वृद्धि के लिए कई सौगातें दी गई हैं, लेकिन निर्यात के ऊंचे लक्ष्यों को पाने के लिए उन चुनौतियों का जोरदार सामना करना होगा जो इस समय निर्यात परिदृश्य पर खड़ी हुई हैं।

यूरोपीय देशों में धीमी पड़ती आर्थिक गतिविधियों के बीच भी भारत के लिए निर्यात के अवसर बनाने होंगे। नई विदेश व्यापार नीति के तहत प्रस्तुत एमईआईएस तथा एसईआईएस के चमकीले बिंदुओं के तहत कारगर प्रयास करने होंगे। व्यापारिक रूप से संगठित क्षेत्रों के विभिन्न समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और उनसे संबंधित नई रणनीति बनाकर निर्यात में वृद्धि करनी होगी।

वाणिज्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014–15 में निर्यात करीब 310 अरब डॉलर रहा है, जबकि निर्यात का लक्ष्य 340 अरब डॉलर निर्धारित किया गया था। यह निर्यात वित्तीय वर्ष 2013–14 में किए गए 312 अरब डॉलर के निर्यात मूल्य से भी कम है। नई विदेश व्यापार नीति के समक्ष विश्व बाजार में जिंसों के घटे हुए भावों की बड़ी चुनौती है। पेट्रोलियम उत्पाद और कृषि जिंसों के निर्यात में भारी गिरावट आई है।

देश के लिए निर्यात के मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती यह है कि मौजूदा डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत निर्यात सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है। निर्यात प्रोत्साहन मानदंडों को सब्सिडी

पर निर्भरता कम कर ज्यादा व्यवस्थित बनाने की प्रतिबद्धता सरकार के सामने है।

निःसंदेह निर्यात के मोर्चे पर चीन की चुनौती सामने खड़ी है। यद्यपि कुछ विदेश व्यापार विशेषज्ञ यह मान रहे थे कि विकास दर घटने, मंदी और बढ़ी हुई श्रम लागत के कारण वर्ष 2014–15 में चीन के निर्यात मूल्य में कमी आएगी और उसका लाभ भारत को निर्यात बढ़ाने में मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन का निर्यात वर्ष 2013–14 में 2340 अरब डॉलर था। यह अनुमानित है कि 2014–15 में चीन का निर्यात तेजी से नहीं बढ़ा, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक ही हुआ है।

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न तो ''मेक इन इंडिया' का नारा सुनकर दुनियाभर की कंपनियां विनिर्माण के गढ़ के तौर पर चीन के बजाय भारत को प्राथमिकता देने जा रही हैं और न ही नई विदेश व्यापार नीति के कारगर क्रियान्वयन के बिना भारतीय निर्यात तेजी से बढ़ने जा रहा है। निश्चित रूप से नई विदेश व्यापार नीति के तहत देश से निर्यात बढ़ाने और ''मेक इन इंडिया' के नारे को साकार करने के लिए अब नए सार्थक प्रयास जरूरी हैं।

खासकर यूरोपीय देशों में धीमी पड़ती आर्थिक गतिविधियों के बीच भी भारत के लिए निर्यात के अवसर बनाने होंगे। नई विदेश व्यापार नीति के तहत प्रस्तुत एमईआईएस तथा एसईआईएस के चमकीले बिंदुओं के तहत कारगर प्रयास करने होंगे। व्यापारिक रूप से संगठित क्षेत्रों के विभिन्न समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और उनसे संबंधित नई रणनीति बनाकर निर्यात में वृद्धि करनी होगी। चीन सहित प्रतिस्पर्धी देशों से निर्यात मुकाबले के लिए बनाई गई रणनीति को कारगर बनाने के लिए, खासकर नई नीति के तहत ट्रांजेक्शन लागत को कम करने के लिए निर्धारित किए गए 21 विभागों में ऐसा उपयुक्त समन्वय जरूरी होगा जिससे निर्यात संबंधी प्रक्रिया सरल बन जाए।

यह भी जरूरी होगा कि देश के निर्यातकों को चीन की तरह आधारढांचा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

यह भी जरूरी होगा कि देश के निर्यातकों को चीन की तरह आधारढांचा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। निर्यात लक्ष्य पाने के लिए आंतरिक मोर्चे पर भी कई तरह के काम करने होंगे। देश में कारोबार के अनुकूल माहौल बनाना होगा। नौकरशाही के कामकाज की संस्कृति में बदलाव करना होगा। सरकार के द्वारा सेज का सही ढांचा विकसित करना होगा।

निर्यात लक्ष्य पाने के लिए आंतरिक मोर्चे पर भी कई तरह के काम करने होंगे। देश में कारोबार के अनुकूल माहौल बनाना होगा। नौकरशाही के कामकाज की संस्कृति में बदलाव करना होगा। सरकार के द्वारा सेज का सही ढांचा विकसित करना होगा। विदेश व्यापार बढ़ाने के लिए बेहतर प्रॉडक्ट क्वालिटी पर फोकस करना होगा ताकि हमारे उत्पाद नियंत्रण मापदंडों पर खरे उतर पाएं। देश में विनिर्माण बहुत पिछड़ा हुआ है।

भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 15 फीसद है, जबकि चीन में यह 30 फीसद है। देश में विनिर्माण क्षेत्र की सालाना वृद्धि दर जो वर्ष 2000 से 2010 के बीच करीब 10 फीसद थी, अब नकारात्मक हो गई है।

हमें देश के आर्थिक मौके बढ़ाने वाले कई महत्वपूर्ण आधारों का पूरा लाभ उठाना होगा। अमेरिका में आई तेजी का लाभ उठाकर भारत वहां अपना निर्यात बढ़ा सकता है। अप्रत्यक्ष करों से संबंधित जीएसटी एक अप्रैल 2016 से लागू किया जाना पूर्णतया संभावित है। इससे भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा। जिस तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत घट गए हैं, उसका लाभ निर्यात बढ़ाने में लिया जाना चाहिए। आर्थिक एवं श्रम सुधारों की डगर पर आगे बढ़ने का लाभ भी लिया जाना चाहिए। भारत ने हाल में बीमा क्षेत्र में 49 फीसद एफडीआई को मंजूरी दी है। साथ ही सरकार ने नए बजट 2015–16 के तहत कारपोरेट कर को चीन की तरह कम कर 30 से 25 फीसद पर लाए जाने हेतु कदम उठाए हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा। नीति–निर्माताओं को चाहिए कि वे भारत के लिए विदेशी निवेश व निर्यात बढ़ाने के वर्तमान सकारात्मक अवसर को हाथ से न जाने दें।

जरूरी है कि देश में जो आर्थिक उत्साह पैदा हुआ है उसके आधार पर सरकारी नीतियों में ढांचागत परिवर्तन की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएं। भारत को जबरदस्त प्रतिस्पर्धी देश बनाया जाना और श्रम व मौद्रिक नीति में सुधार के साथ–साथ नौकरशाही और राजकोषीय अनुशासन में सुधार पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ❑

भ्रष्टाचार ऐसे दूर नहीं होगा. . .

भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कटिबद्ध है लेकिन उसे कितनी सफलता मिलेगी? यह प्रश्न इसलिए उठता है कि बाबुओं के स्वामी राजनेता लोग पाँव से सिर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं । क्या भ्रष्टाचार किए बिना कोई नेता बन सकता है? सिर्फ कंपनियों और बाबुओं को पकड़ने की बात खोखला झुनझुना है। जब तक नेताओं के कान नहीं खिचेंगे, भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा।

■ **डॉ. वेदप्रताप वैदिक**

भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 में वर्तमान सरकार ने जो संशोधन किए हैं, वे अच्छे हैं लेकिन वे काफी नहीं हैं। उनसे भ्रष्टाचार में कितनी कमी आएगी, यह कहना मुश्किल है। कांग्रेस सरकार के समय भी यह कानून था लेकिन मनमोहन सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस कानून और उस कानून में फर्क इतना था कि पहले भ्रष्टाचारी सरकारी नौकर को कम से कम छह महीने की सजा होती थी और अब यह सजा तीन साल की होगी । पहले ज्यादा से ज्यादा सजा पांच साल की होती थी। अब वह सात साल की होगी।

पहली बात तो यह कि रिश्वत देनेवाले और लेनेवाले को पकड़ना ही मुश्किल है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? क्या रिश्वत चेक से दी जाती है ? या सबके सामने दी जाती है? क्या रिश्वत के मामले में जबर्दस्ती होती है? देखा यह जाता है कि रिश्वत देनेवाला, लेनेवाले से प्रायः ज्यादा आग्रही होता है। उसे अपना काम निकालना होता है।

वह हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है । यदि कोई अफसर ईमानदार हो तो उसे भ्रष्ट करने के लिए हर पैंतरा आजमाया जाता है। ऐसे में रिश्वत के हजार मामलों में से यदि एक–दो भी पकड़ाए जा सकें तो गनीमत है। रिश्वत के वे ही मामले पकडे जाते हैं, जिनमें जोर–जबर्दस्ती होती है । जो पकड़ें जाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, छह महीने की जेल हो या तीन साल की? या तीन साल की जगह सात साल की? वे जितने दिन जेल में रहेंगे, सरकारी खाना, कपड़ा, आवास, दवाई और खेल–कूद इत्यादि सब मुफ्त मिलेगा। होना यह चाहिए कि उन्हें सश्रम कारावास मिले और कम से कम दस साल का मिले। उनकी और उनके परिवार की सारी चल और अचल संपत्ति जब्त की जाए। उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी न मिले।

रिश्वत के वे ही मामले पकडे जाते हैं, जिनमें जोर–जबर्दस्ती होती है । जो पकड़ें जाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, छह महीने की जेल हो या तीन साल की? या तीन साल की जगह सात साल की? वे जितने दिन जेल में रहेंगे, सरकारी खाना, कपड़ा, आवास, दवाई और खेल–कूद इत्यादि सब मुफ्त मिलेगा। होना यह चाहिए कि उन्हें सश्रम कारावास मिले और कम से कम दस साल का मिले। उनकी और उनके परिवार की सारी चल और अचल संपत्ति जब्त की जाए।

यह प्रावधान अच्छा है कि सिर्फ नकद लेने पर नहीं, बल्कि रिश्वत के अन्य तरीकों पर भी सजा होगी। अपने बच्चों की पढ़ाई, विदेशों में सैर–सपाटे, मोटे–मोटे उपहार, विदेशी चिकित्सा आदि किसी भी रूप में बाबुओं को दी गई रिश्वत दंडनीय होगी। बाबुओं की चल–अचल संपत्ति पर भी सरकार कड़ी नजर रखेगी। वह अय्याश अफसरों को भी पकड़ेगी। सारे भ्रष्ट अफसरों के मुकदमे अब आठ साल की बजाय दो साल में ही तय किए जाएँगे। सेवा–निवृत्त बाबुओं पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी। ये सब प्रावधान देखने में अच्छे लगते हैं। इनसे यह आभास भी होता है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कटिबद्ध है लेकिन उसे कितनी सफलता मिलेगी? यह प्रश्न इसलिए उठता है कि बाबुओं के स्वामी राजनेता लोग पाँव से सिर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं । क्या भ्रष्टाचार किए बिना कोई नेता बन सकता है? सिर्फ कंपनियों और बाबुओं को पकड़ने की बात खोखला झुनझुना है। जब तक नेताओं के कान नहीं खिचेंगे, भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। ❑

समाचार परिक्रमा

पाँच सालों में मकानों की कीमतों 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी

रिजर्व बैंक द्वारा दिल्ली–एनसीआर, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, ग्रेटर चंडीगढ़, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल और भुवनेश्वर में 35 बैंकों तथा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिये गये होम लोन के जारी आँकड़ों में बताया गया है कि देश के 13 बड़े शहरों में पिछले पाँच साल में मकानों की कीमतों में 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी लखनऊ में और सबसे कम भुवनेश्वर और हैदराबाद में दर्ज की गयी। इसमें वित्त वर्ष 2009–10 की कीमतों की तुलना में 31 दिसंबर 2014 तक दामों में बढ़ोतरी का विवरण दिया गया है।

आँकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ में कीमतों में सर्वाधिक 115 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हैदराबाद और भुवनेश्वर में दाम 43–43 फीसदी ही बढ़े। ग्रेटर चंडीगढ़ में यह बढ़ोतरी 44 प्रतिशत रही।

चार बड़े महानगरों में घरों के दाम मुंबई में सर्वाधिक 82 प्रतिशत बढ़े जबकि चेन्नई में यह बढ़ोतरी 78 प्रतिशत, दिल्ली–एनसीआर में 64 प्रतिशत तथा कोलकाता में 53 प्रतिशत रही।

रिजर्व बैंक के जारी आंकड़ों में बताया गया कि तिमाही–दर–तिमाही आधार पर मकानों के दाम बढ़ने की रफ्तार 2011–12 की पहली तिमाही में चार प्रतिशत रही थी जो 2012–13 की तीसरी तिमाही तक बढ़ती हुई 28 प्रतिशत पर पहुँच गयी। लेकिन, इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गयी और यह 2014–15 की अक्टूबर दिसम्बर की तिमाही में घटकर वापस चार प्रतिशत पर आ गयी है।

वर्ष 2014–15 की दूसरी और तीसरी तिमाही में मझौले तथा बड़े मकानों की तुलना में छोटे मकानों की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गयी। अलग–अलग शहरों में मकानों के आकार के आधार पर होम लोन लेने के पैटर्न में भी अंतर दिखा है। मुंबई वाले 70.6 प्रतिशत होम लोन छोटे मकान खरीदने के लिए लेते हैं तो दिल्ली में 46.3 प्रतिशत होम लोन बड़े तथा 35 फीसदी मझौले मकानों के लिए लिये जाते हैं। चेन्नई में छोटे मकान का 48.9 प्रतिशत रहा वही दूसरी ओर कोलकाता 47.4 फीसदी लोन मझौले मकानों के लिए रहा। ❑

कृषि क्षेत्र को जारी ऋण 15 प्रतिशत बढ़ा

देश के अधिसूचित बैंकों द्वारा कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण 15 प्रतिशत बढ़कर 7700 अरब रपए पर पहुंच गया है। यह बात रिजर्व बैंक के जारी आंकड़ों में बताई गई। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार इस साल मार्च तक बैंकों द्वारा जारी कुल ऋण पिछले साल मार्च के मुकाबले 8.6 फीसद बढ़कर 61423 अरब पर पहुंच गया। इसके अलावा उद्योगों को दिया गया ऋण 5.6 फीसद बढ़कर 26651 अरब रपए पर पहुंच गया। वहीं पिछले साल इसमें 13.1 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। सेवा क्षेत्र के ऋण की बढ़ोतरी की दर 16.1 प्रतिशत से घटकर 5. 6 प्रतिशत रही। इस दौरान हाउसिंग लोन 16.7 फीसद बढ़कर 6309 अरब रपए और वाहन ऋण 15.4 फीसद बढ़कर 1505 अरब रपए पर पहुंच गया। उपभोक्ता उत्पाद ऋण की बढ़ोतरी 19.3 प्रतिशत रही और यह 153 अरब रपए पर पहुंच गया। ❑

भारतीय 56 कंपनियां ग्लोबल 2000 सूची में

फोर्ब्स की '2015 की ग्लोबल 2000' सबसे बड़ी और शक्तिशाली कंपनिया सूची मे 56 भारतीय कंपनियां हैं। फोर्ब्स की सालाना सूची में 579 कंपनियों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है जबकि मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज फोर्ब्स की 2015 की ''ग्लोबल 2000' सूची में 56 भारतीय कंपनियों में अग्रणी है।

फोर्ब्स की सूची में विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि मौजूदा नियंत्रण कारोबार परिदृश्य में अमेरिका और चीन प्रभुत्व की स्थिति में है। लगातार दूसरे साल शीर्ष एक से 10 कंपनियों में दोनों देशों का ही स्थान रहा।

रिपोर्ट में पहली बार चीन के चार सबसे बड़े बैंक शीर्ष चार स्थानों पर हैं। चीन में विश्व की 232 सबसे बड़ी कंपनियां हैं और यह पहली बार जापान को पार कर अन्य देशों से आगे बढ़ गया है। इधर 218 कंपनियों के साथ जापान तीसरे स्थान पर आ गया। वही भारत ने पिछले साल की सूची में दो और कंपनियां जोड़ीं।

फोर्ब्स की शक्तिशाली कंपनियों के सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सूची में 142वें स्थान पर है जो पिछले साल के 135वें स्थान से नीचे है। रिलायंस के बाद भारतीय स्टेट बैंक बैंक का स्थान रहा जो 152वें स्थान है। अंन्य भारतीय कंपनियों से इस सूची में जगह बनाई उनमें ओएनजीसी 183 वें स्थान पर, टाटा मोटर्स 263 183 वें स्थान पर, आईसीआईसीआई बैंक 283 183 वें स्थान पर, इंडियन आयल 349 183 वें स्थान पर रहे। ❑

नेपाल भूकंप में भारतीय कंपनियों पर खास असर नहीं

भूकंप प्रभावित नेपाल में परिचालन कर रही भारतीय कंपनियों ने कहा कि वहां उनके परिचालनों पर किसी तरह का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। एफएमसीजी क्षेत्र की डाबर ने कहा कि उसके कारखाना भवन में कुछ दरारें आई हैं, लेकिन कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भूकंप प्रभावित नेपाल को राहत कार्य के लिए ट्रैक्टर व पिकअप वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने काल दरें कम कर दी हैं। फिक्की ने भूकंप प्रभावित नेपाल में राहत कार्य के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाया है। फिक्की के महासचिव दीदार सिंह ने एक बयान में कहा है, ''हमें अपने सदस्यों से अच्छा सहयोग मिल रहा है। ❑

भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण 270 परियोजनाएं अटकी : गडकरी

देशभर में केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर आजकल काफी वाद–विवाद हो रहा है। कई संस्थानों ने 'भूमि अधिग्रहण बिल' में सुधार की जरूरत बताया तो विपक्ष ने इसे बन्द करने को कहा। अब केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी मंजूरियों में देरी के कारण देश भर में 270 से भी अधिक परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं। उन्होंने कहा, ''जब मैंने मंत्री का कार्यभार संभाला, 270 से भी अधिक परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, वन पर्यावरण संबंधी मंजूरियों, रेल पुल की समस्या के कारण रुकी पड़ी थीं और इस कारण परियोजनाओं की अनुमानित लागत 3,80,000 करोड़ रपए है।'गडकरी ने कहा कि यह देश के लिए अच्छा नहीं है। ❑

सबसे सस्ती कार का तमगा हटेगा नैनो से

रतन टाटा की महत्वाकांक्षी लखटिकया कार ''नैनो' को अब कंपनी इसके नए अवतार ''जेनएक्स नैनो' के तौर पर बाजार में उतारेगी। इसके अलावा टाटा मोटर्स की नैनो कार को ''सबसे सस्ती कार' का तमगा भी हटाएगी। नैनो को वर्ष 2009 में सबसे सस्ती कार के तौर पर पेश किया गया था। तब भारतीय जनता के साथ–साथ दुनिया भर के लिए भी आकर्षण कर केन्द्र नैनो कार रही थी।❑

होंडा 1775 करोड़ निवेश करेगी भारत में

जापानी वाहन कंपनी होंडा अपनी दुपहिया वाहन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 1,775 करोड़ रुपये निवेश करेगी। एचएमएसआई के अध्यक्ष व सीईओ केइता मुरामात्सु ने यह बात कही।

भारतीय बाजार में दुपहिया वाहन की काफी मांग है। इसको देखते हुए जापान की होण्डा कंपनी ने 1775 करोड़ निवेश करेगी। अब भारतीय बाजार में बढ़ती माँग को देखते हुए विदेशी कपंनियाँ अपने निवेश को बढ़ा रही है जो एक तरफ से स्वदेशी दुपहिया वाहनों के बाजारों पर खतरे का संकेत भी देता है।❑

बिगड़ रहा है थाली का स्वाद

बेमौसम बारिश से जहाँ फसल खराब होने के कारण किसान तो बेहाल है साथ ही बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी की थाली से भी दाल और सब्जियाँ का स्वाद भी दूर होता जा रहा है। दिल्ली स्थित दालों के थोक मार्केट कारोबारियों के अनुसार पिछले पखवाड़े के दौरान चना, अरहर और उड़द दालों में 500 से 1500 रपए प्रति क्विंटल तक का उछाल आया है। उनके मुताबिक इस तेजी के पीछे मुख्य कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट और आयातित माल आने में देरी की आशंका है। इसके अतिरिक्त विदेशी बाजारों में भाव ऊंचे और डालर भी मजबूत बना रहा है। आर्थिक और सांख्यिकी महानिदेशालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2014–15 में पिछले साल के मुकाबले देश में दाल–दलहनों का उत्पादन 13 लाख 50 हजार टन कम रहेगा। वर्ष 2013–14 में कुल उत्पादन एक करोड़ 97 लाख 80 हजार टन रहा था जिसके 2014–15 में घटकर एक करोड़ 84 लाख 30 हजार टन रह जाने का अनुमान है।

आज बाजार में सभी दालों की कीमते काफी बढ़ चुकी है और सब्जियों में भी कीमते बढ़ती जा रही है। परिणामस्वरूप आम आदमी की थाली का स्वाद बिगड़ता जा रहा है। ❑

कूड़े से बनेगा डेढ़ अरब डॉलर का सामान

बढ़ती शहरी आबादी और प्रति व्यक्ति कूड़े की मात्रा के बीच अच्छी खबर यह है कि वर्ष 2017 तक देश में कूड़े से बने उपयोगी सामान का बाजार बढ़कर डेढ़ अरब डालर पर पहुंच जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा स्काइनेटिक्स के साथ मिलकर किया गया अध्ययन 'पृथ्वी दिवस' पर जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में कूड़े से बने उपयोगी सामानों का बाजार एक अरब डालर का है जो 2017 तक बढ़कर डेढ़ अरब डालर का हो जाएगा।

अध्ययन में कहा गया है कि 2012 में देश की शहरी आबादी 36.5 करोड़ है जो 40 साल बाद 2052 में बढ़कर 67.2 करोड़ पर पहुंच जाएगी। साथ ही इस दौरान प्रति व्यक्ति रोजाना कूड़ा भी 0.37 किलोग्राम से बढ़कर 0.82 किलोग्राम पर पहुंच जाएगा। इसमें 10 प्रतिशत सालाना की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वर्तमान में शहरों में कुल 1.37 लाख टन ठोस कूड़ा प्रतिदिन निकलता है जो 2052 तक बढ़कर 5.54 लाख टन रोजना पर पहुंच जाएगा। ❑

गांवों में बढ़ेगी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या

एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 तक ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब पांच गुना होकर 28 करोड़ पहुंच जाएगी। एक निजी कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, ''वर्ष 2018 तक देश में 55 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता होंगे जिसमें 28 करोड़ छोटे कस्बों एवं शहरों से होंगे। वर्ष 2014 में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या छह करोड़ थी।' रिपोर्ट में बताया गया है 'इससे कंपनियों को ई–कामर्स के जरिए अपने उत्पादों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ई–कामर्स के जरिए जहाँ आज छोटे दुकानदारों को अपना व्यापार चलाने में काफी दिक्कते आ रही है लेकिन आने वाले समय में उन्हें अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ❑

अगले वर्ष से चमकेगा रीयल्टी सेक्टर

नियंत्रण रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि देश में निवेश का माहौल सुधरने और ब्याज दर में गिरावट से रीयल एस्टेट बाजार में मार्च 2016 तक सुधार आने की संभावना है। इससे ऋण तले दबी जमीन जायदाद विकासकर्ता कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

एजेंसी फिच ने कहा, ''अप्रैल 2015 में कई बैंकों ने आवास ऋण पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। इससे जमीन जायदाद विकास क्षेत्र को सबसे अधिक फायदा होगा।' रिजर्व बैंक ने जनवरी से अब तक नीतिगत ब्याज दर में 0.50 फीसद की कटौती की है जिससे वाणिज्यिक बैंकों ने आवास ऋण और अन्य ऋणों पर ब्याज घटा दिया है। नियंत्रण एजेंसी ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि ब्याज दर कम होने से मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के मकानों का कारोबार करने वाली इकाइयों को ज्यादा फायदा होगा।'' ❑

निराश न हो उद्योग जगत

उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा ने कहा है कि उद्योग जगत को मोदी सरकार से इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।

रतन टाटा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने वादे पूरे करने के लिए पूरा समर्थन और पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अभी एक साल भी पूरे नहीं किए हैं और हम सभी को समझना चाहिए कि यह नई सरकार है। हमें इतनी जल्दी निराश और असंतुष्ट नहीं होना चाहिए।

यह बात उन्होने मुंबई में एक स्कूल के दीक्षांत समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा, ''हम सभी को उम्मीद है कि देश उसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसा कि मोदीजी ने सोचा है।' ❑

इस साल भी अल नीनो का खतरा, बढ़ सकती है महंगाई

जापानी कंपनी नोमूरा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस साल अल नीनो का जोखिम बढ़ रहा है और इसके कारण सामान्य से कम बारिश हो सकती है तथा इसका ग्रामीण क्षेत्र की मांग प्रभावित हो सकती और खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल अल नीनो के हालात फिर उभरने की संभावना है और इससे खाद्य महंगाई अस्थाई तौर पर बढ़ सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया कि अल नीनो के कारण हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर सामान्य से कम बारिश होती है और इसलिए संकेत मिलता है कि मानसून के मौसम जून से सितम्बर के दौरान सामान्य से कम बारिश हो सकती है। ❑

रपट

विश्व के विकास का एक पोषणशील नया अर्थशास्त्र लिखना होगा जो भारत के अनुभव से आयेगा : अरुण ओझा

स्वदेशी आन्दोलन के बूते ही देश को स्वतंत्रता मिली। लेकिन आजादी के बाद सत्ता की बागडोर अंग्रेजों की नीतियों पर चलने वालों के हाथों में रहा जिन्होंने विश्व बैंक, आईएमएफ एवं विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के गिरफ्त में आकर निवेश के लिए ऋण लेकर औद्योगिक विकास से देश का विकास के सपने पर चलते रहे। आज देश कर्ज में डूबा और गरीबी में पिसता छटपटा रहा है।

किसी देश या समाज की प्रगति निवेश आधारित और निर्यात उन्मुखी उद्योग से नहीं हो सकता। पश्चिम का विकास प्रणाली गरीबी उत्पन्न करके आयी औद्योगीकरण का शोषक विकास प्रणाली है। इसके कारण वैश्विक संकट के दैत्य दुनिया को विनाश के बारूद पर खड़ा कर दिया है। इस प्रणाली ने सर्वत्र असंतुलन पैदा किया है। विकास की संतुलित प्रणाली उपयोग आधारित परंपरा पोषक और जनसहभागिता से विकसित होनी होगी। विश्व के विकास का एक पोषणशील नया अर्थशास्त्र लिखना होगा जो भारत के अनुभव से आयेगा। स्वदेशी जागरण मंच इस चुनौती को लिया है। विश्व कल्याण का नया अर्थशास्त्र हम लिखेंगे।

उक्त विचार स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण ओझा जी के हैं जिन्होंने पर्यटन आतिथ्य गृह चन्दवा में 11 एवं 12 अप्रैल 2015 को सम्पन्न दो दिवसीय प्रांत सम्मेलन में व्यक्त किए। सम्मेलन में झारखण्ड के 14 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें झारखण्ड सरकार से वनवासियों के धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण से मुक्त करने, नदियों–तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त करने, वनोपज एवं लघु खनिजों के विपणन पर वनवासियों को अधिकार देने सहित 10 मांगे की गयी हैं। इसके साथ भूमि अधिग्रहण, मेड बाई इंडिया, स्वदेशी बनो–स्वदेशी जैसे विषयों पर चर्चा की गयी। विभिन्न जिलों के वृत हुए एवं आगामी कार्यक्रमसें कर रूपरेखा बनायी गयी।

सम्मेलन में मुख्य रूप से अखिल भारतीय संयोजक श्री अरुण ओझा जी, अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्री अणदा शंकर पाणिग्रही जी, विख्यात गाँधीवादी विचारक श्री शीवव्रत दुबे जी, क्षेत्रीय संयोजक श्री विनोद कुमार सिंह जी, सहक्षेत्र संयोजक श्री सचिन्द्र बरियार जी, क्षेत्र संघर्षवाहिनी प्रमुख श्री बन्देशंकर सिंह जी, प्रांत संयोजक श्री राजेश उपाध्याय जी, सहप्रांत संयोजक श्री धनंजय कुमार सिंह जी उपस्थित रहें।

सम्मेलन का उद्घाटन गाँधीवादी विचारक श्री शीवव्रत दुबे द्वारा किया गया। इस मौके पर श्री अणदा शंकर पाणिग्रही ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के कारण और अब तक की संघर्ष यात्रा का एक विवरण देते हुए कहा कि स्वदेशी आन्दोलन के बूते ही देश को स्वतंत्रता मिली। लेकिन आजादी के बाद सत्ता की बागडोर अंग्रेजों की नीतियों पर चलने वालों के हाथों में रहा जिन्होंने विश्व बैंक, आईएमएफ एवं विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के गिरफ्त में आकर निवेश के लिए ऋण लेकर औद्योगिक विकास से देश को विकास के सपने पर चलते रहे।

आज देश कर्ज में डूबा और गरीबी में पिसता छटपटा रहा है। खुदरा व्यापार में एफडीआई और रोजमर्रा की जरूरतों में विदेशी सामानों का उपयोग, जीएम फसल आदि विषयों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इन्हीं कारणों से देश में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि वे आगे आयें और स्वदेशी जागरण मंच के साथ जुड़कर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की राह ढूढें।

सम्मेलन में अतिथियों को अंगवस्त्र और नारियल देकर स्वागत किया गया। प्रांत संयोजक राजेश उपाध्याय ने झारखण्ड का वृत कथन प्रस्तुत किया। सम्मेलन को सफल बनाने में जिला संयोजक प्रभाकर मिश्रा एवं उनकी पूरी जिल टोली ने दिन–रात काम किया। सम्मेलन में कई स्थानीय सामाजिक संगठनों का भी योगदान एवं सहभागिता रही। ❑